पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 जुलाई, 2014 ई0 (आषाढ़ 28, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–29

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	349–408	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	307	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	37–38	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2

अधिसूचना

10 जुलाई, 2014 ई0

संख्या 229/XXVIII(1)/2014-02(पैरा0)2009 T.C. II–श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 6 वर्ष, 2009) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद् विनियम, 2014

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाऐं

2. (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–
(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 6 वर्ष 2009) अभिप्रेत है;
(ख) "प्ररूप" से इन विनियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
(घ) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।

(2) ऐसे शब्द तथा पद, जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु इन विनियमों मे परिभाषित नही है, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उसके लिए दिये गये हैं।

परिषद का मुख्यालय

3. राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजन हेतु परिषद के मुख्यालय का निर्धारण आदेश द्वारा कर सकेगी।

बैठक बुलाने का प्राधिकार एवं स्थान

4. (1) परिषद के सदस्यों की संख्या के न्यूनतम एक–तिहाई सदस्यों की मांग पर अथवा स्वतः अध्यक्ष, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपेक्षित विषय तत्कालिक महत्व का है और परिषद की बैठक बुलाया जाना आवश्यक है;

परन्तु यह कि परिषद की सामान्य बैठकें न्यूनतम छः माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी।

(2) परिषद की बैठकें ऐसे स्थान या कार्यालय में होंगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाये या विशेष प्रयोजन हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाय।

बैठकों की कार्य सूची और गणपूर्ति

5. (1) परिषद की प्रत्येक बैठक की कार्य सूची तथा तिथि की सूचना परिषद के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तिथि से न्यूनतम तीस दिन पूर्व दी जायेगी; परन्तु यह कि आपातकालीन बैठक की सूचना तीन दिन की समय सीमा पर दी जा सकेगी।

(2) परिषद के बैठक की गणपूर्ति इसके सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से होगी।

(3) किन्ही दो बैठकों के चाहे वह स्थगित की गयी हो अथवा नही, बीच की अन्तरिम अवधि पन्द्रह दिन से कम न होगी।

(4) बैठक के स्थान पर एक उपस्थिति पंजिका रखी जायेगी जिस पर सभी उपस्थित सदस्य अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे।

परिषद के कार्य संचालन की भाषा

6. परिषद का सभी कार्य हिन्दी में सम्पादित किया जायेगा और आवश्यकतानुसार उसका अंग्रेजी रूपान्तर रखा जायेगा।

परिषद की बैठक

7. (1) परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य द्वारा की जायेगी।

(2) अध्यक्ष को बैठक में सभी प्रश्नों पर बोलने तथा उन पर मत देने का अधिकार होगा।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को उस बैठक के

लिए या उस अवधि के लिए, जिसमें वह बैठक की अध्यक्षता कर रहा हो, में अध्यक्ष के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

(4) परिषद की किसी बैठक में आने वाले सभी प्रश्न बैठक में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से निस्तारित किये जायेंगे और मतों की संख्या बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य को द्वितीय अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

परिषद तथा समितियों की बैठकों के परिचालन हेतु प्रक्रिया

8. (1) परिषद तथा समितियों की साधारण बैठकें परिषद मुख्यालय में तथा विशेष उददेश्य की पूर्ति हेतु ऐसे अन्य स्थान, समय और तिथि पर होगी, जैसा कि राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अध्यक्ष समय–समय पर अवधारित करें। परिषद की विशेष बैठक ऐसे समय, तिथि तथा स्थान पर होगी जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे।

(2) परिषद की या किसी समिति की बैठक के पूर्व, अध्यक्ष के अनुदेशों के अधीन रजिस्ट्रार, कामकाज की अन्तिम कार्यसूची तैयार करेगा। ऐसी कार्यसूची तैयार करने में, परिषद के सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों की सूचनायें, यदि कोई हो, सम्मिलित करेगा। प्रत्येक बैठक की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा यथास्थिति, समिति के समस्त सदस्यों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी। ऐसी सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान और ऐसी बैठक में संपादित किए जाने वाले कामकाज की कार्यसूची उल्लिखित होगी।

(3) कोई सदस्य साधारण बैठक की कार्य सूची में अपना प्रस्ताव सम्मिलित करने के लिए रजिस्ट्रार को बैठक की तिथि से बीस दिन पूर्व प्रेषित कर सकेगा। रजिस्ट्रार ऐसे प्रस्ताव को अध्यक्ष की अनुमति से कार्य सूची में सम्मिलित करेगा।

(4) **कोई भी प्रस्ताव ग्राहय नही होगा –**

(क) यदि वह विषय, जिससे कि वह प्रस्ताव सम्बन्धित है, परिषद या समिति के कृत्यों की परिधि के अंतर्गत नही है; अथवा

(ख) यदि वह समग्र रूप से किसी संकल्प या

संशोधन के रूप में वही प्रश्न उपस्थित करता है जो कि उस बैठक में, जिसमें कि उसे एक नए संकल्प के रूप में लाने की अपेक्षा की गई है, तथा वह छह मास के भीतर लाया गया हो और या तो विनिश्चित किया गया हो या वापस ले लिया गया हो :

परन्तु यह कि इन विनियमों की कोई भी बात उस प्रयोजन के लिए बुलाई गई परिषद की विशेष बैठक में ऐसे प्रस्ताव को ग्राहय करने या परिषद की किसी बैठक में किसी ऐसे विषय पर, जो कि राज्य सरकार द्वारा परिषद को निर्दिष्ट किया गया हो, आगे विचार–विमर्श करने से प्रतिषिद्ध नही करेगी; अथवा

(ग) यदि वह स्पष्टतः तथा संक्षिप्तः अभिव्यक्त न किया गया हो या उसमें एक से अधिक विचारार्थ विषय उठाये गये है; अथवा

(घ) यदि उसमें तर्क, अनुमान, व्यंगात्मक अभिव्यक्ति या अपमानजनक कथन अंतर्विष्ट हो या वह असंगत हो या यदि वह कोई संशोधन हो या वह मूल प्रस्ताव का केवल नकारात्मक स्वरूप हो।

(5) अध्यक्ष ऐसे किसी प्रस्ताव या संशोधन को, जो कि उसकी राय में, विनियम 8 के उपविनिमय (4) के अधीन अग्राहय है, नामंजूर कर देगा,

(6) जब अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को नामंजूर कर दे या संशोधित कर दे, तब रजिस्ट्रार उस सदस्य को, जिसने प्रस्ताव की सूचना दी है, यथास्थिति, नामंजूर किये जाने सम्बन्धी आदेश या संशोधित प्रस्ताव की सूचना देगा।

(7) (क) किसी समिति की बैठक प्रारम्भ नही की जाएगी या चालू नही रखी जाएगी, यदि गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्य उपस्थित न हों। यदि कोई बैठक करने के लिये नियत समय से 30 (तीस) मिनट के दौरान, उपस्थित सदस्यों की संख्या गणपूर्ति के बराबर न हो तो ऐसी बैठक स्थगित हो जाएगी तथा ऐसी स्थगित बैठक उसी स्थान और ऐसे समय तथा उसी दिन या दूसरे दिन या किसी

अन्य दिन की जाएगी, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए,

(ख) यदि, स्थगित बैठक से भिन्न किसी बैठक के दौरान किसी भी समय अध्यक्ष यह पाता है कि अपेक्षित गणपूर्ति करने वाले सदस्य उपस्थित नही है, तो वह या तो गणपूर्ति होने तक उस बैठक को निलंबित करेगा या दूसरे दिन के लिये बैठक को स्थगित करेगा।

(ग) किसी भी बैठक को ऐसे प्रस्ताव द्वारा, जो यथास्थिति बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किसी भी समय प्रस्तुत तथा पारित किया गया हो यदि अध्यक्ष की राय में यह आवश्यक है कि बैठक को भविष्य में किसी तिथि के लिये या उसी दिन किसी समय के लिये स्थगित किया जाए; स्थगित कर सकेगा,

(घ) किसी भी स्थगित बैठक के लिये कोई गणपूर्ति या कोई सूचना आवश्यक नही होगी। यदि बैठक आगामी दिन के लिये स्थगित की गई है तो रजिस्ट्रार ऐसी बैठक की उन सदस्यों को, जो उपस्थित नही थे, की तिथि, समय तथा स्थान के बारे मे सूचना देगा। अध्यक्ष यदि आवश्यक समझें तो वह बैठक की तिथि में परिवर्तन भी कर सकेगा और रजिस्ट्रार, प्रत्येक सदस्य को किये गये परिवर्तन के बारे में लिखित सूचना देगा।

(8) किसी भी बैठक में समस्त प्रश्न बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे तथा बहुमत हाथ उठाकर या मत विभाजन द्वारा या मतपत्र द्वारा, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे, किया जाएगा और मतदान का परिणाम अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाएगा जो अंतिम होगा:

परन्तु यह कि परिषद की बैठक में यदि तीन सदस्य या उससे अधिक यह अपेक्षा करें कि विनिश्चय मत पत्र या मत विभाजन द्वारा हो तो मत, मतपत्र या मत विभाजन द्वारा किया जाएगा। मतदान या मत विभाजन द्वारा मत लेने की रीति अध्यक्ष द्वारा आदेश से अवधारित की जाएंगी।

(9) (क) प्रत्येक बैठक में कार्यसूची की मदें विचार में ली जाएंगी तथा उन पर पहले विनिश्चय किया जाएगा और उसके पश्चात यदि समय रहा तो, अध्यक्ष कोई अन्य नया कामकाज करने की अनुमति दे सकेंगें, यदि उसकी राय में उस पर, उसी बैठक में विचार किया जाना आवश्यक हो :

परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष की राय में कोई प्रस्ताव इतना आवश्यक है कि उस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए, तो वह ऐसे प्रस्ताव को जो या तो कार्य–सूची में सम्मिलित नही है या जो कार्य–सूची में क्रम से बाहर है, ला सकेगा या उसे विचार–विमर्श हेतु ग्राहय कर सकेगा।

(ख) जब किसी मद पर विचार किया जा रहा हो, तो परिषद का कोई सदस्य यह प्रस्ताव ला सकेगा कि उस पर विचार किया जाना किसी विशेष बैठक तक या अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया जाए और यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो उस प्रस्ताव पर विचार किया जाना तदनुसार स्थगित हो जाएगा।

(10) जब समान आशय के प्रस्ताव दो या अधिक सदस्यों द्वारा लाए गए हो, तब अध्यक्ष किसी एक प्रस्ताव को लाए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा तथा अन्य ऐसे प्रस्ताव या प्रस्तावों के बारे में यह समझा जाएगा कि वह वापस ले लिये गये है

(11) (क) कार्य सूची की प्रत्येक मद हेतु बैठक में अध्यक्ष द्वारा या उस सदस्य द्वारा, जिसके नाम पर वह कार्य सूची में दर्शाया गया है, प्रस्ताव लाया जाएगा।

(ख) प्रस्ताव लाए जाने के पश्चात कोई भी सदस्य उस प्रस्ताव में संशोधन के बारे में प्रस्ताव ला सकेगा।

(ग) किसी सदस्य द्वारा लाए गए प्रत्येक प्रस्ताव या संशोधन का समर्थन किया जाएगा और यदि समर्थन न किया जाए तो वह वापस ले लिया गया समझा जाएगा। अध्यक्ष द्वारा लाए गए किसी प्रस्ताव या संशोधन को समर्थन की आवश्यकता

नहीं होगी।
(घ) जब किसी प्रस्ताव या संशोधन का समर्थन किया गया हो, तो अध्यक्ष द्वारा उस सम्बन्ध में अवगत कराया जाएगा।
(ड) जब इस प्रकार किसी प्रस्ताव या संशोधन के बारे में अवगत कराया गया हो तो उस पर एक प्रश्न के रूप में या तो सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में चर्चा की जाएगी।
(च) ऐसा कोई भी प्रस्ताव या संशोधन जो लाया जा चुका है, यथास्थिति परिषद या समिति की बिना अनुमति वापस नही लिया जायेगा।

(12) (क) कोई संशोधन ऐसे प्रस्ताव से सुसंगत तथा ऐसे प्रस्ताव की परिधि में होना चाहिए जैसा कि वह प्रस्तावित है
(ख) अध्यक्ष कोई भी ऐसा संशोधन लाए जाने से असहमति व्यक्त कर सकेगा, जो उसकी राय में असंगत है या जिसका प्रस्ताव पर केवल नकारात्मक प्रभाव है या यदि वह मूल रूप में कोई प्रस्ताव था

(13) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर परिषद किसी प्रस्ताव पर विचार करने तथा निर्देशानुसार पारित किये जाने पर विचार करेगी। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर परिषद का कोई सदस्य संशोधन ला सकता है किन्तु यदि संशोधन पर राज्य सरकार अंतिम रूप से असहमत हो जाती है तो प्रस्ताव अपने पूर्व रूप में ही पारित माना जायेगा।

(14) राज्य सरकार परिषद द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को जनहित में शून्य घोषित कर सकेगी।

(15) किसी भी प्रस्ताव के शब्दों को –
(क) लोप, अंतः स्थान या जोड़े जाने या
(ख) किन्ही मूल शब्दों के स्थान पर शब्दों के प्रतिस्थापन द्वारा, संशोधित किया जा सकेगा।

(16) जब कोई प्रस्ताव या संशोधन समर्थन सहित लाया गया हो तो प्रस्ताव लाने तथा समर्थन करने वाले सदस्य से भिन्न कोई सदस्य यथास्थिति, उस

प्रस्ताव या संशोधन के बारे में उस क्रम में बोल सकेगा, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे :

परन्तु यह कि किसी प्रस्ताव या संशोधन का समर्थन अध्यक्ष की अनुमति से यथास्थिति प्रस्ताव या संशोधन का समर्थन करने तक स्वयं को सीमित रखेगा तथा वाद–विवाद के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम पर उसके बारे में चर्चा कर सकेगा।

(17) अध्यक्ष, वाद–विवाद के दौरान किसी भी समय, चर्चा में सदस्यों की सहायता करने के लिये किसी बिन्दु को स्पष्ट करने हेतु कोई आपत्ति उठा सकेगा, या कोई सुझाव या जानकारी दे सकेगा।

(18) (क) मूल प्रस्ताव का प्रस्तावक और यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान की गयी हो, तो किसी संशोधन का प्रस्तावक अंतिम उत्तर देने के अधिकार का हकदार होगा ;

परन्तु यह कि कोई भी सदस्य वाद–विवाद के किसी भी प्रक्रम पर व्यवस्था का प्रश्न उठा सकेगा, किन्तु उस बिन्दु पर चर्चा की अनुमति नही दी जायेगी।

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य, जो प्रस्ताव पर चर्चा कर चुका है, उस प्रस्ताव के ऐसे किसी संशोधन पर, जो बाद में लाया गया है, पुनः चर्चा कर सकेगा।

(ख) कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति के बिना, अध्यक्ष द्वारा नियत किए गए समय से अधिक समय तक चर्चा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा।

(ग) कोई भी कथन, प्रस्ताव की विषय–वस्तु या उसमें किए जाने वाले संशोधन की विषय–वस्तु तक ही सीमित रहेगा।

(घ) ऐसा कोई सदस्य, जो परिषद या समिति के समक्ष किसी विषय पर चर्चा करने कथन करने या कोई संप्रेषण करने की अपेक्षा करें, तो वह अध्यक्ष को सम्बोधित करेगा।

(ड) यदि किसी समय अध्यक्ष अपने स्थान पर खड़ा हो जाए तो बोलने वाला सदस्य तत्काल अपना स्थान ग्रहण कर लेगा।

(19) जब किसी प्रस्ताव या संशोधन पर वाद–विवाद चल रहा हो, तो उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित से भिन्न कोई प्रस्ताव नही लाया

जाएगा–

(क) यथास्थिति, प्रस्ताव का या संशोधन का कोई संशोधन,

(ख) प्रस्ताव या संशोधन पर वाद–विवाद को या तो किसी विनिर्दिष्ट तिथि के लिए या अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के लिए कोई प्रस्ताव,

(ग) वाद–विवाद को समाप्ति के लिए, अर्थात इस बात के लिए प्रस्ताव कि अब प्रश्न रखा जाए।

(घ) इस बाबत का प्रस्ताव कि उस प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाने के स्थान पर कार्य सूची की अगली मद पर विचार किया जाए;

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव या संशोधन नही लाया जाएगा जिससे किसी चर्चा में अवरोध उत्पन्न हो :

(ड.) जब तक कि अध्यक्ष की यह राय न हो कि वाद–विवाद समाप्त किए जाने के लिए किसी भी प्रस्ताव को लाया जाये, या युक्तियुक्त वाद–विवाद के अधिकार को दुरूपयोग है, तो वह तत्काल यह प्रस्ताव रखेगा कि अब प्रश्न रखा जाए, और यदि वह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वाद–विवाद के अधीन मूल प्रस्ताव या संशोधन तत्काल रखा जाएगा:

परन्तु यह कि अध्यक्ष, प्रस्ताव रखने वाले प्रस्तावक को वाद–विवाद के अधीन प्रस्ताव रखे जाने के पूर्व, उत्तर देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(20) (क) जब किसी प्रस्ताव के संशोधन को समर्थन सहित रखा जाए या जब दो या अधिक ऐसे संशोधनों के समर्थन सहित प्रस्ताव लाए जाएं तो यथाशक्ति, अध्यक्ष, परिषद या उसकी समिति की मंशा जानने के पूर्व परिषद या समिति को मूल प्रस्ताव तथा प्रस्तावित संशोधन या संशोधनों के निबंधनों को पढ़कर सुनाएगा।

(ख) यदि किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक संशोधन हो तो अध्यक्ष वह क्रम विनिश्चत करेगा जिसमें उन्हे प्रस्तुत किया जाना है।

(ग) प्रस्ताव के किसी संशोधन पर प्रथमतः मतदान

कराया जाएगा।

(21) जब विचार किये जाने वाले ऐसे किसी प्रस्ताव पर जिसमें विभिन्न बिन्दु अंतर्वलित है, तो यह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर होगा कि ऐसे प्रस्ताव पर मत विभाजित किया जाय और प्रत्येक बिन्दु या किसी बिन्दु पर पृथक से मतदान कराए जाय।

(22) अध्यक्ष, औचित्य के उन समस्त प्रश्नों को, जो कि अन्यथा हो, विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

(23)(क) परिषद की बैठक में प्रेस के प्रतिनिधि को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। बैठक की समाप्ति के पश्चात आवश्यकतानुसार परिषद के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की जा सकेगी;

(ख) यदि अध्यक्ष द्वारा अपेक्षा की जाए, तो भेंट कर्ता बैठक से किसी भी समय, स्वयं को हटा लेंगे।

लिखित प्रस्ताव

(24) जब अध्यक्ष को यह प्रतीत हो कि किसी प्रस्ताव हेतु बैठक बुलाना आवश्यक नही है तो वह बैठक आहूत करने के स्थान पर कारणों सहित लिखित प्रस्ताव को सदस्यों में परिचालित कर उनके विचार व मत प्राप्त कर सकेगा।

बैठक का कार्यवृत व कार्यवाहियों की वैद्यता 9

(1) परिषद की या समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख बैठक के दौरान या बैठक के पश्चात यथाशीघ्र, कार्यवृत्त पुस्तिका में टंकित या स्वच्छ रूप से लिखित रूप से उल्लिखित किया जाएगा तथा पुष्टि किए जाने के पश्चात अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

(2) (क) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त में प्रत्येक प्रस्ताव के पाठ तथा संशोधन के बारे में प्रस्तावकों तथा समर्थकों के नामों के साथ–साथ ऐसे व्यक्तियों के नाम जिन्होने पक्ष या विपक्ष में मतदान किया है, की अंकना के साथ यह उल्लिखित किया

जाएगा कि वह अंगीकार किया गया है, अस्वीकार किया गया है या वापस ले लिया गया है।
(ख) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त यथासंभव हिन्दी में लेखबद्ध किए जाएंगे।

(ग) परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति, बैठक के दिन से 10 दिन के भीतर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी और उसके द्वारा अभिप्रमाणित की जाएगी तथा उसके पश्चात कार्यवृत्त की प्रति बैठक के दिन से 30 दिन के भीतर प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी।
(घ) कार्यवृत्त, यदि परिषद या समिति की उसी बैठक में या अगली बैठक में यदि अध्यक्ष इस टिप्पणी के साथ उन पर हस्ताक्षर कर देते है कि वे यथास्थिति परिषद या समिति के समक्ष रखे गए थे तथा वे सही है, तो यह समझा जाएगा कि उनकी पुष्टि कर दी गई हैं।

(3) परिषद के कार्यवृत्त, उनकी पुष्टि कार्यकारणी से किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, प्रमाणित रजिस्ट्रर के पृष्ठों (शीट) पर लिखे जाएंगे तथा उन्हे पुस्तिका रूप (वाल्यूम) में, जो स्थायी रूप से परिरक्षित की जाएगी, अंतः स्थापित किए जाने के लिए क्रमानुसार पृष्ठांकित किए जाएंगे। ऐसी पुस्तिका की एक–एक प्रति परिषद के प्रत्येक सदस्य को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। उसकी प्रतियां जनता को ऐसी कीमत पर जो कि परिषद द्वारा तत्समय नियत की गई दर पर विक्रय की जा सकेगी।

(4) परिषद के सदस्यों के लिए यथा संभव, किसी बैठक में व्यक्त किए गए मतों तथा वाद–विवादों की रिपोर्ट को ऐसी रीति में जैसा संभव हो, रखा जाएगा। बैठक की विस्तृत कार्यवाही, जो कि गोपनीय समझी जाएगी, कार्यालय में रजिस्ट्रार के नियंत्रण में रखी जाएगी तथा अध्यक्ष की अनुमति के अधीन रहते हुए निरीक्षण किए जाने हेतु सदस्यों के लिए खुली रहेगी।

कार्यवाहियों का रखा जाना

10 (1) परिषद का रजिस्ट्रार एक कार्यवृत्त पुस्तिका रखेगा और उसमें प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का

अभिलेख अनुरक्षित कर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अगली बैठक में पुष्टिकरण के पश्चात अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य का हस्ताक्षर करायेगा। कार्यवृत्त पुस्तिका स्थाई रूप से सुरक्षित रखी जायेगी। कार्यवृत्त पुस्तिका परिषद के स्थाई सदस्यों अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए उसकी अपेक्षा कर सकेगा।

(2) परिषद की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की एक प्रति ऐसी बैठक की तिथि से दस दिन के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित की जायेगी।

परिषद के सदस्यों के भत्ते

11. (1) अध्यक्ष सहित परिषद के प्रत्येक सरकारी सदस्य को परिषद के लिए कार्य किये जाने पर नियमानुसार अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

परन्तु यह कि बैठक के स्थान पर निवास करने वाले सदस्य वाहन व्यय पूर्ति हेतु अधिकतम दो सौ रूपये मात्र प्रतिदिन की दर से प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) सदस्य के निवास स्थान से अन्यत्र बैठक आयोजित होने पर प्रत्येक सदस्य पांच सौ रूपये मात्र प्रतिदिन की दर से बैठक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होगा;

परन्तु यह कि यदि कोई सदस्य एक ही दिन में परिषद द्वारा आयोजित एक से अधिक बैठक में उपस्थित होता है तो वह केवल एक बैठक का भत्ता तथा नियमानुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) यदि कोई सदस्य किसी अन्य प्रयोजन से यात्रा सम्पादित करता है तो ऐसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता/बैठक भत्ता अनुमन्य नही होगा।

(4) प्रत्येक सदस्य अनुमन्य भत्ते के लिए प्ररूप–एक में दावा प्रस्तुत करेगा;

परन्तु यह कि एक वर्ष से अधिक के अन्तराल पर देयक प्रस्तुत करने पर ऐसा दावा कालातीत समझा जायेगा।

(5) यदि इन विनियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो परिषद का विनिश्चय अन्तिम होगा।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए परिषद के साथ व्यक्तियों को सहयोजित करने की रीति और प्रयोजन

12. (1) परिषद विशिष्ट प्रयोजनों के लिए परिषद की सहायता अथवा सलाह हेतु जैसा वह उचित और आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति के सहयोजन हेतु निर्दिष्ट कर सकेंगी।

(2) परिषद सहायता अथवा सलाह हेतु चिकित्सा विशेषज्ञ, विधि परामर्शी, आदि को सहयोजित कर सकती है।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को वही भत्ते अनुमन्य होंगे, जो परिषद के अन्य सदस्यों को अनुमन्य होंगे तथा मानदेय के सम्बन्ध में परिषद यथास्थिति निर्णय करेगी।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को परिषद की बैठक में उपस्थित होने का अधिकार होगा किन्तु उन्हे मत देने का अधिकार नही होगा। ऐसा सदस्य परिषद के किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नही होगा।

समिति की संरचना कालावधि तथा कृत्य

13. (1) परिषद साधारण और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आदेश द्वारा अपने सदस्यों में से निम्नलिखित समितियों का गठन कर सकती है :–

(क) कार्यपालक समिति;

(ख) अनुशासन समिति;

(ग) कोई अन्य समिति, जिसे वह आवश्यक समझे व उचित समझे।

(2) प्रत्येक समिति में अधिकतम पांच सदस्य होंगे, परिषद अपने सदस्यों में से पांच–पांच सदस्यों को चयनित कर विभिन्न समितियों का गठन करेगी। जिनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष होगा।

(3) प्रत्येक समिति अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों मे से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनेगी। अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में सदस्यों में से चयनित

कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति को बैठक की अध्यक्षता की अवधि में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो अध्यक्ष को बैठक की अध्यक्षता करते समय प्राप्त है।

परन्तु यह कि जहां परिषद का अध्यक्ष समिति का सदस्य है वह अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यदि उस समिति का सदस्य है उसकी अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में इस समिति के सदस्यों द्वारा चयनित कोई सदस्य उस समिति का अध्यक्ष होगा।

जहां अध्यक्ष उस समिति का सदस्य नही है किन्तु उपाध्यक्ष सदस्य है वहां उसका अध्यक्ष होगा और उसकी अनुपस्थिति में इस समिति के सदस्यों द्वारा चयनित कोई सदस्य उस समिति का अध्यक्ष होगा।

(4) किसी भी समिति की गणपूर्ति तीन सदस्यों से मिलकर होगी।

(5) प्रत्येक समिति की बैठक का परिसंचालन, कार्यवृत्त पुस्तिका में कार्यवृत रखे जाने जाने तथा सदस्यों के बैठक हेतु भत्ते/मानदेय, परिषद की बैठकों के अनुरूप होंगे।

(6) प्रत्येक समिति ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जैसा परिषद द्वारा उसे समय–समय पर सौंपे जाए।

कार्य समिति के अधिकार, दायित्व व कर्तव्य

13.1 (1) कार्यपालक समिति परिषद से सम्बोधित सभी याचिकाओं अथवा आवेदनों पर विचार कर अपनी आख्या परिषद को देगी।

(2) कार्यपालक समिति किसी विषय जिस पर वह परिषद का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझती है अथवा उन विषयों पर जिन्हे परिषद द्वारा इंगित किया गया हो, विचार कर आख्या देगी।

(3) कार्यपालक समिति अधिनियम की अधिसूची में सम्मिलित किये जाने अथवा निकाले जाने वाली शैक्षिक अर्हताओं से सम्बन्धित विषयों किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा अनुदत्त शिक्षा को

मान्यता प्राप्त आर्हता के रूप में घोषित करने की आख्या देगी।

(4) कार्यपालक समिति विश्वविद्यालय तथा संस्थाओं से जो परा चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहे हों के मानक, पाठयक्रम की अवधि परीक्षा की स्कीम और अन्य अर्हता शर्तों के सम्बन्ध में उनसे सूचना प्राप्त कर परिषद को प्रस्तुत करेगी।

(5) समिति परा चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित किन्ही बिन्दुओं पर शिथिलता प्रदान करने हेतु परिषद को अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति विश्वविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा मान्य अर्हताओं को अनुदत्त करने के लिये विभिन्न पाठयक्रमों हेतु परा चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक अवधारित करने की कार्यवाही कर आख्या परिषद को प्रेषित करेगी।

(7) कार्यपालक समिति उन सभी प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करेगी जो परिषद अथवा किसी विशेष आदेश के द्वारा उसे प्रतिनिहित किये गये हों।

अनुशासन समिति की शक्तियां, दायित्व व कर्तव्य

13.2 परिषद में अनुशासन समिति की शक्तियां, दायित्व और कर्तव्य निम्नवत् होंगे :–

(क)परिषद की स्वप्रेरणा अथवा पंजीकृत परा चिकित्सा व्यवसायी के दुर्व्यवहार के विरूद्ध परिषद से प्राप्त शिकायतों की जांच करना;

(ख) प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर उनकी वास्तविकता का आंकलन कर यदि आवश्यक हो तो अन्य विवरण प्राप्त करना;

(ग) प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में परा चिकित्सा व्यवसायी का स्पष्टीकरण प्राप्त करना;

(घ) शिकायत के सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा विशेषज्ञों, परा चिकित्सा व्यवसायियों, चिकित्सकीय विधि परामर्शदाताओं से यदि आवश्यक समझे विचार विमर्श/परामर्श करना;

(ड.) आरोपों को परा चिकित्सा व्यवसायी को संसूचित करना तथा प्राप्त शिकायत पर सुनवाई करना; और

(च) परिषद को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में निष्कर्ष के साथ संस्तुति प्रदान करना।

सचिव/रजिस्ट्रार, अन्य

14 (1) परिषद राज्य सरकार की पूर्वानमति से परिषद

कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा शर्तें और पारिश्रमिक

के कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए एक पूर्णकालिक सचिव/रजिस्ट्रार, ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जितनी वह आवश्यक समझे। परिषद इस हेतु राज्य सरकार को औचित्य सहित प्रस्ताव प्रेषित कर अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(2) सचिव/रजिस्ट्रार परिषद का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा वह परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होगा।

(3) सचिव/रजिस्ट्रार राजकीय सेवक होने की दशा में किसी अतिरिक्त मानदेय के हकदार नहीं होंगे, तथा किसी सेवा निवृत अधिकारी की नियुक्ति होने पर अधिकारी/कार्मिक को तद्समय प्रचलित शासकीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार देय धनराशि मानदेय के रूप में अनुमन्य होगी। परिषद के निजी क्षेत्र के पदाधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व परिषद की सामान्य बैठक में उनके मानदेय के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ;

(4) उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद के कर्मचारियों के लिए यदि कोई ढ़ाचा भविष्य में स्वीकृत किया जाता है तो, उसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित मानक/मापदण्ड/ दिशा–निर्देशों (अन्य परिषदों के लिए) के अनुरूप आदेश परामर्शीय विभागों के परामर्शोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की शक्तियां

15. **अध्यक्ष**

(1) **अध्यक्ष :–**

(क) परिषद में बैठकें आहूत करेगा तथा उनकी अध्यक्षता करेगा;

(ख) परिषद की वित्तीय स्थिति तथा सामान्य प्रशासन पर नियन्त्रण रखेगा और सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेगा।

(ग) रजिस्ट्रार का अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी होगा।

(2) का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा तथा करायेगा।

परिषद के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित किये जायेंगे।

(3) परिषद तथा उसकी समितियों के विनिश्चयों का कार्यान्वित करायेगा।
(4) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि परिषद द्वारा उसे अधिनियम के अधीन समय–समय पर प्रदत्त की जाय।
(5) राज्य सरकार से परिषद की रिक्तियों को भरे जाने का अनुरोध करेगा।
(6) अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के अधीन रहते हुए, अपनी शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों में से किसी एक या अधिक शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग करने के लिए किसी चयनित सदस्य को प्रतिनिधानित कर सकेगा।

उपाध्यक्ष

(1) उपाध्यक्ष ऐसी शाक्तियों व दायित्वों का निर्वहन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जाय।

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो अथवा अध्यक्ष किसी कारणवश अपने कर्तव्यों व दायित्वों के निर्वहन में सामयिक रूप से अक्षम हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उसके अधिकार सहित दायित्वों का निर्वहन करेगा।

सदस्य–

(7) (क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में चयनित सदस्य उसकी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा; और

(ख) किसी भी समय, अध्यक्ष उपविनियम (6) के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन करेगा।

(8) परिषद का कोई भी सदस्य किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा। त्याग पत्र लिखित रूप में स्वहस्ताक्षरित होगा और त्यागपत्र देने वाला व्यक्ति, तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक ऐसा त्यागपत्र स्वीकार न कर लिया जाय।

सचिव/रजिस्ट्रार के कर्तव्य

16. **सचिव/रजिस्ट्रार :–**

(1) परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के सम्पूर्ण नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

(2) सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का नियंत्रणकर्ता होगा। वह उनके नाम का ऐसे रीति में निर्देशित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिससे कि परिषद का उचित तथा दक्षतापूर्ण कार्य संचालन हो सके।

(3) का यह कर्तव्य होगा कि वह परिषद के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करे और परिषद के किन्ही पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरूद्ध उनकी उपेक्षा, दुराचरण, कर्तव्यच्यूति आदि के लिए परिषद के अध्यक्ष या समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही करे;

परन्तु यह कि व्यथित अधिकारी/कर्मचारी उक्त निर्णय के विरूद्ध शासन में अपना प्रत्यावेदन दे सकेगा तथा इस सम्बन्ध में शासन का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) अध्यक्ष या समिति द्वारा जारी किये गये सभी आदेशों का उचित रूप से निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह परिषद अथवा उसके अधीन गठित समिति के किन्ही पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध परिषद के अध्यक्ष या समिति द्वारा किये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेगा अथवा करायेगा।

(5) परिषद के अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में चयनित अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए परिषद की ओर से प्राप्त या उसके लिए व्यय की गयी सभी धनराशियों के समुचित लेखे रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) सभी नैत्यिक पत्र व्यवहार तथा सूचनायें जारी करेगा और कार्यालय के अन्य कार्यों को देखेगा और समस्त अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से करेगा।

(7) ऐसे समस्त विवादों को, जो समिति के समक्ष निर्णय के लिए आये, ऐसे रीति से जो समिति पर लागू हो, पूर्ण अभिलेख रखने के उत्तरदायी होगा।

(8) परिषद द्वारा निपटाये गये विवादों का अभिलेख रखेगा तथा आवश्यकतानुसार परिषद की ओर से

वाद योजित करेगा।

(9) परिषद से सम्बद्ध किसी विषय के सम्बन्ध में लिखित या मौखिक शिकायत प्राप्त होने पर जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगा।

(10) का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि परिषद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की जाती है।

(11) परिषद और उसके अधीन गठित समितियों को अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखेगा और सम्बद्ध सभी मामलों में परामर्श देगा। ऐसा परामर्श को परिषद की कार्यवाही में अभिलिखित किया जायेगा।

(12) परिषद के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करने का अधिकारी होगा तथा उन्हे आकस्मिक अवकाश देगा। अन्य प्रकार की छुट्टी के लिए अध्यक्ष को सिफारिश करेगा तथा ऐसी छुट्टी स्वीकृत करने की कार्यवाही करेगा, जो उन्हे परिषद द्वारा अनुमन्य कराई जाए।

(13) अध्यक्ष के आदेश पर अथवा उसके पूर्वानुमोदन से परिषद अथवा समिति की बैठक बुलायेगा और ऐसी बैठक में स्वयं उपस्थित रहेगा। उसे बैठक में बोलने तथा अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु परिषद की बैठकों में उसे मत देने का अधिकार नही होगा।

(14) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रयोजनों के लिए अपीलीय अधिकारी होगा और अपने अधीनस्थ किसी एक अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करेगा।

(15) परा चिकित्सा परिषद व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर से सम्बन्धित समस्त कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(क) रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ सत्यापित तथा हस्ताक्षरित करेगा।

(ख) नामांकित व्यवसायी के पते में किसी परिवर्तन की सूचना ऐसे व्यवसायी द्वारा रजिस्ट्रार को दी जायेगी और तदनुसार परिवर्तित पतों की रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा।

(ग) नामांकित व्यवसायी का परा चिकित्सा व्यवसाय हेतु सम्बन्धित विषय/विद्या का प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।

(घ) वृत्तिक आचरण शिष्टाचार तथा सदाचार संहिता का उल्लंघन करने पर परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन सिद्ध दोष ठहराने के उपरान्त रजिस्टर से नाम हटाने की कार्यवाही करेगा।

(ड.) अवचार से सम्बन्धित जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ऐसे किसी व्यक्ति को जिसका नाम धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्टर से स्थायी रूप से नही हटाया गया है, रजिस्टर में पुनः नाम दर्ज कर सकेगा। इस हेतु शिकायत के परीक्षण हेतु आवश्यक अभिलेख तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा कर सकेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त रजिस्टर के सम्बन्ध में इन विनियमयों की विनियम 18(7) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(च) पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रत्येक पंजीकृत परा–चिकित्सीय व्यवसायी को निर्धारित प्ररूप में नामांकित का एक प्रमाण–पत्र दिया जाएगा, ऐसा प्रमाण पत्र खो जाने, विरूपित हो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में, रूपये पांच सौ फीस का भुगतान करने पर उसकी द्वितीय प्रति जारी करेगा और ऐसे जारी किए गये प्रमाण पत्र पर शब्द "द्वितीय प्रति" अंकित करेगा।

(छ) फीस भुगतान के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही एवं रसीद निर्गत करने का दायित्व होगा।

(ज) की अनुपस्थिति में शासन की सहमति से परिषद द्वारा उनके स्थान पर नियुक्त अन्य व्यक्ति उनके कार्य को देखेगा।

मान्यता, प्राप्त अर्हताऐं अनुदत्त करने हेतु शिक्षा के न्यूनतम मानक

17. (1) राज्य में परा–चिकित्सा परिषद के अधीन परा–चिकित्सीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दिये जाने के लिए निम्नलिखित संस्थाऐं आवेदन करने हेतु पात्र होंगे; अर्थात

(क) राज्य में अवस्थित केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय;

(ख) राज्य में अवस्थित केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा संप्रवर्तित स्वायत्तशासी संस्थाएं;
(ग) सोसाइटी रजिस्टरीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाएं; तथा
(घ) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, वक्फ अधिनियम, 1954 के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाऐं।

(2) राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति दिये जाने हेतु मानक निम्नवत होंगे–

(2) एक–(क) संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो;
(ख) संस्था को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु संस्था द्वारा आवेदन किया गया हो;
(ग) संस्था की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।
(घ) आवेदक के पास न्यूनतम 11,000 वर्ग फीट का भवन निर्मित होना चाहिए जिसमें प्रयोगशालाएं, व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, स्टाफ रूम व कार्यालय, आदि उपलब्ध हो। एक से अधिक पाठयक्रम हेतु आवेदन की स्थिति में सामान्य सुविधायें हेतु वांछित कवर्ड एरिया की गणना एक ही बार की जायेगी।

(ड.) संस्था द्वारा भवन निर्माण की विधिवत अनुमति संबंधित विहित प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी जिससे मास्टर प्लान द्वारा निर्धारित भू उपयोग तथा प्रचलित बॉयलाज का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
(च) संस्था के पास स्वयं के अथवा अन्य चिकित्सालयों से सम्बद्धिकरण के फलस्वरूप प्रशिक्षणार्थी एवं शैय्या का अनुपात 1:1 होना चाहिए तथा बी.पी.टी. (फिजियोथैरेपी में स्नातक) के लिए संस्था के पास उपलब्ध कुल शैय्याओं में से ऑर्थोपैडिक/न्यूरोलॉजी की इतनी शैयाएं कम से कम होनी चाहिए कि बी.पी.टी. (फिजियोथैरेपी में स्नातक) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु एक ऑर्थोपैडिक शैया प्रति प्रशिक्षार्थी अवश्य उपलब्ध रहें।
(छ) प्रशिक्षणार्थी एवं शैय्या 1:1 के अनुपात में कियान्वित करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सम्बद्धीकरण हेतु शैय्याएं उपलब्ध कराने वाले चिकित्सालय की शैय्याओं की अलग–अलग

संस्थाओं के दोहरी गिनती न हो। संबंधित चिकित्सालय में कुल कितनी शैय्याओं हेतु सम्बद्धीकरण उपलब्ध कराया गया है इसका रिकार्ड रखा जाये।

(ज) संस्था के पास वाह्य रोगी विभाग अलग से होना चाहिए जिसका क्षेत्रफल कम से कम 2000 वर्ग फीट हो तथा वाह्य रोगी विभाग आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित तथा आवश्यक अर्हता रखने वाले स्टाफ के द्वारा चलाया जाए। बी.एस.सी., एम. एल.टी. (चिकित्सा लैब तकनीक) तथा माइक्रोबाइलॉजी के पाठयक्रम चलाने वाली संस्था के पास या तो स्वयं का वाह्य रोगी विभाग, पैथोलॉजी क्लैक्शन सेन्टर हो अथवा जिस चिकित्सालय से सम्बद्धता प्राप्त करें, वहां पर यह सुविधा अवश्य होनी चाहिए।

(झ) बी.एस.सी., एम.एल.टी. (चिकित्सा लैब तकनीक) हेतु सम्बद्ध चिकित्सालय के पास स्वयं की पैथोलॉजी प्रयोगशाला अवश्य होनी चाहिए।

(ञ) स्नातक तथा स्नातकोत्तर पैरा मेडिकल कोर्सेज हेतु संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पाठयक्रमों के अनुसार संचालन करना होगा तथा फैकल्टी की व्यवस्थ करनी होगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा।

(ट) संस्था के पास पृथक से स्वय का छात्रावास भी होना चाहिए जिसका कवर्ड क्षेत्रफल अतिरिक्त रूप से होगा।

(ठ) संस्था के पास विश्वविद्यालय द्वारा तय किये गये मानक अनुसार सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए।

(2)(क) उपरोक्तानुसार इंगित किये गये मानकों में अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं को पूर्ण करने में कतिपय आवेदक संस्थाओं को कुछ समय लग सकता है। ऐसे मामलों में अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है यदि आवेदक संस्था उपरोक्त में से कम संख्या 1,2,3 तथा 6 की शर्तें पूर्ण करती हो। साथ ही वांछित कवर्ड एरिया का 50 प्रतिशत कवर्ड एरिया उसके पास उपलब्ध हो तथा उसके पास

विस्तार के लिए भी स्थान उपलब्ध हो।

(ख) जिन मामलों में अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जायेंगे उनमें अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को समय अवधि के साथ ही यह इंगित किया जायेगा कि कोर्स के संचालन से पूर्व/शेष अवधि में क्या मानक पूर्ण करना आवश्यक है। शासन द्वारा अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के उपरान्त संस्था द्वारा मानक पूर्ण किये जाने की स्थिति का मौके पर विभाग द्वारा निरीक्षण कराया जायेगा जिसके क्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र के विस्तार पर विचार किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) में निर्धारित शर्तों के सम्बन्ध में आवेदक को सूचनाऐं आवेदन के साथ राज्य सरकार को उपलब्ध करानी आवश्यक होगी;

(4) आवेदन में निम्न सूचनाओं का समावेश किया जाना होगा :–

भाग क

आवेदन पत्र भाग–क में आवेदक के बारे में निम्नलिखित विशिष्टतायें तथा प्रस्तावित स्थान पर शिक्षण संस्था स्थापित करने की वांछनीयता और प्रथम दृष्टया साध्यता के सम्बन्ध में जानकारी अंतर्विष्ट होगी –

(क) पात्रता सम्बन्धी मानदण्ड के विचारणीय निर्वन्धनों के अन्तर्गत आवेदक संस्था के गठन के सम्बन्ध में जानकारी;

(ख) आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा आवेदक को प्रबन्धकीय और वित्तीय सामर्थ्य के बारे में जानकारी; और

(ग) अर्हकारी मानदण्ड में यथा विहित आवश्यक प्रमाण पत्रों तथा सम्मति की उपलब्धता के बारे में जानकारी।

भाग–ख

आवेदन पत्र के भाग–ख में नवीन परा–चिकित्सीय शिक्षण संस्था स्थापित करने की योजना का विस्तृत विवरण अंतर्विष्ट होगा तथा प्रस्तावित परा–चिकित्सीय शिक्षण संस्था के बारे में एक विस्तृत तकनीकी आर्थिक सहायता रिपोर्ट के रूप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जायेगाः–

(क) शिक्षण संस्थाओं का नाम तथा पता;

(ख) पर्यावरण सम्बन्धी विश्लेषण प्रशिक्षित परा–चिकित्सीय जनशक्ति की आवश्यकता तथा उपलब्धता, गैर एनालिसिस प्रस्तावित स्थान पर नये परा–चिकित्सीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की वांछनीयता तथा प्रथम दृष्टया साध्यता आती है;

(ग) स्थल विशिष्टताऐं तथा बाहय सम्पर्क की उपलब्धता, जिसके अन्तर्गत स्थल आकृति, अनुज्ञेय तल स्थान सूचक, भू–आच्छादन, भवन उंचाई, सड़क पहुंच, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, मल व्ययन संयोजन, दूरभाष लाईनें आदि आती है :

(घ) शैक्षणिक कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के वार्षिक अंतर्ग्रहण प्रवेश, मानदण्ड तथा प्रवेश का तरीका, स्थानों (यदि कोई हो) के आरक्षण, अधिमानिक आवंटन, विभागवार तथा वर्षवार अध्ययन का पाठयक्रम आता है;

(ड.) कार्यात्मक कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत विभागवार, सेवावार कार्यात्मक अपेक्षाऐं तथा क्षेत्र वितरण और कक्षवार बैठक की क्षमता आती है;

(च) उपस्कर कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत चिकित्सीय, वैज्ञानिक तथा सम्बद्ध उपस्करों की कक्षवार सूची आती है, जो उनकी मात्राओं तथा विनिर्देशों की अनुसूची सहित पूर्ण हो;

(छ) जन शक्ति कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं, संकाय तथा कर्मचारीवृन्द के आवास, कर्मचारीवृन्द तथा विद्यार्थियों की छात्रावास, प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय, सभागृह, पशुघर, शवघर तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं, जैसे सांस्कृतिक तथा मनोरंजन केन्द्र, खेलकूद परिसर आदि भवनवार निर्मित क्षेत्र आते है;

(ज) योजना तथा अभिविन्यस (ले–आउट) जिसके अन्तर्गत शिक्षण संस्था, अनुशांगिक भवन आदि के सेक्शन एलीवेशन तथा तल के अनुसार क्षेत्र की गणना आती है;

(झ) चरणबद्धता और अनुसूचीबद्धता जिसके अन्तर्गत कियाकलापों की माहवार–अनुसूची, भवन का विवरण, डिजाईन, स्थानीय निकाय का अनुमोदन, सिविल संनिर्माण तथा उपस्कर, कमचारिवृन्द की भर्ती तथा विद्यार्थियों के प्रस्तावित अंतर्ग्रहण के अनुरूप चरणबद्ध आरम्भ उपदर्शित है;

(ञ) परियोजना लागत, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन,

संयत्र तथा मशीनरी, चिकित्सीय वैज्ञानिक तथा आनुसांगिक उपस्कर, फर्नीचर तथा फिक्सचर की पूंजीगत लागत तथा प्रारम्भिक तथा प्रचालन पूर्व व्यय आते हैं ;

(ट) परियोजना लागत के लिए वित्तपोषण के साधन, जिसके अन्तर्गत आवेदक का अंशदान, अनुदान तथा दान, इक्विटी तथा सावधि ऋण व अन्य स्रोत, यदि कोई हो, आते है;

(ठ) राजस्व पूर्वानुमान, जिसके अन्तर्गत फीस स्ट्रक्चर तथा विभिन्न स्रोतों से अनुमानित वार्षिक राजस्व आता है;

(ढ) प्रचालन परिणाम, जिसके अन्तर्गत आय विवरण कैश–फलो–स्टेटमेन्ट तथा प्रक्षिप्त (प्रोजेक्टेड) तुलन–पत्र आते है।

भाग–ग

आवेदक पत्र के भाग–ग में विद्यमान अस्पताल/सम्बद्ध का तथा विद्यमान अस्पताल के प्रोन्नत करने की प्रस्तावित योजना का या अतिरिक्त अस्पताल स्थगित करने का या दोनो का, प्रस्तावित शिक्षण संस्था के चरणबद्ध विकास के अनुरूप विस्तृत विवरण अंतर्विष्ट होगा, आवेदन पत्र का यह भाग विस्तार क्रार्यक्रम के बारे में एक विस्तृत, तकनीकी–आर्थिक रिपोर्ट के रूप में भी प्रस्तुत किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा :–

(क) विद्यमान अस्पताल का नाम तथा पता;

(ख) विद्यमान अस्पताल तथा उसके आनुषंगिक भवन के ब्यौरे, जिसके अन्तर्गत बिस्तर सम्बन्धी तथा योजना व अभिविन्यास (ले–आउट) योजना (स्वयं का चिकित्सालय होने की स्थिति में) चिकित्सीय तथा सहबद्ध उपस्करों की सूची, अस्पताल सेवाओं की क्षमता तथा संरूपक, प्रशासनिक सेवाऐं तथा अन्य आनुशांगिक और सहायक सेवाऐं, प्रवर्गवार कर्मचारिवृन्द की संख्या आती है;

(ग) विद्यमान अस्पताल के विस्तार के लिए या नये अस्पताल को स्थापित करने हेतु अतिरिक्त भूमि के ब्यौरे, जिसके अन्तर्गत भूमि की विशिष्टियों, प्रस्तावित शिक्षण संस्था से दूरी, भू–खण्ड आकार

भूमि का अधिकृत उपयोग, भूगोल, मिट्टी की दशा, सड़क पहुंच, सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, मल व्ययन, टेलीफोन लाईनें आदि है;

(घ) उन्नत चिकित्सा कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत विस्तार योजना के अधीन परिकल्पित अतिरिक्त नैदानिक तथा पैरा नैदानिक विधाऐं;

(ड.) उन्नत कार्यात्मक कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत विशिष्टतावार तथा सेवावार कार्यात्मक अपेक्षाऐं तथा क्षेत्र वितरण और विशिष्टतावार बिस्तर वितरण है;

(च) भवन कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत अस्पताल के कर्मचारीवृन्द से आवास तथा विद्यार्थी छात्रावासों और अन्य अनुषांगिक भवनों के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के ब्यौरे आते है;

(छ) योजना तथा अभिविन्यास (ले–आउट), जिसके अन्तर्गत अभिविन्यास, योजना, सैक्शन एलीवेशन तथा अस्पताल और अनुशांगिक भवनों की तल वार क्षेत्र गणना सहित अस्पताल काम्पलैक्स का उन्नत मास्टर प्लान या प्रस्तावित नये अस्पताल का मास्टर प्लान, जैसी भी दशा हो आते है;

(ज) अस्पताल सेवाओं के उन्नत किये जाने वाले या क्षमता तथा संरूपण में वृद्धि के ब्यौरे;

(झ) उपस्कर, जनशक्ति कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत चिकित्सीय तथा सहबद्ध उपस्कर की उन्नत कक्षवार सूची, मात्राओं तथा विर्निदेशों की अनुसूची आती है;

(ञ) उन्नत जनशक्ति कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत चिकित्सीय परा–चिकित्सीय तथा अन्य कर्मचारीवृन्द का प्रवर्गवार वितरण आता है;

(ट) बिस्तर स्कीम की चरणबद्धता तथा अनुसूचीबद्धता, जिसके अन्तर्गत क्रियाकलापों की माहवार मास्टर अनुसूची सम्मिलित है, जिसमें प्रस्तावित शिक्षण संस्थाओं के विकास के अनुरूप भवन का प्रारम्भ तथा पूर्णता, डिजाइन, स्थानीय निकायों का अनुमोदन, सिविल संनिर्माण, अस्पताल सेवाऐं, चिकित्सीय तथा सम्बद्ध उपस्करों की व्यवस्था, कर्मचारीवृन्द आदि की भर्ती उपदर्शित है;

(ठ) विस्तार योजना की परियोजना लागत, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, अस्पताल सेवाऐं, चिकित्सीय तथा सहबद्ध उपस्कर, फर्नीचर तथा फिक्सचर की अतिरिक्त लागत और प्राथमिक और प्रचालन पूर्व

व्यय आता है;
(ड) विस्तार योजना की लागत के वित्तपोषण के साधन, जिसके अन्तर्गत आवेदक का अंशदान, अनुदान तथा दान, इक्विटी तथा सावधि ऋण तथा अन्य स्रोत, यदि कोई हो, आते है;
(ढ) राजस्व पूर्वानुमान जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकियाओं तथा सेवाओं से आय के ब्यौरे, उन्नत सेवाभार तथा वार्षिक राजस्व आता है;
(ण) व्यय पूर्वानुमान जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकियाओं तथा सेवाओं से आय के ब्यौरे, उन्नत सेवाभार तथा वार्षिक राजस्व आता है;
(त) प्रचालन परिणाम, जिसके अन्तर्गत आय विवरण कैश फलो स्टेटमेन्ट तुलन–पत्र आता है।
राज्य सरकार द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में तथा सरकारी चिकित्सालयों में शैयाओं का आबद्धीकरण के निम्न आदेशों का पालन करना होगा :–

(5) उत्तराखण्ड सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना :

(एक) निजी पैरामेडिकल/नर्सिंग संस्थानों के संचालनार्थ आवेदन किये जाने हेतु सम्बन्धित संस्था द्वारा ` 1000/– जमा कर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के कार्यालय से निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र प्रति वर्ष 31 जुलाई तक प्राप्त किये जायेंगे।
(दो) आवेदन पत्र को निर्धारित डी0पी0आर0 एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रों की प्रति संलग्न कर ` 25000/– प्रति कोर्स की दर से आवश्यक धनराशि सहित प्रतिवर्ष माह अगस्त तक जमा किया जायेगा जो अगामी जुलाई से प्रारम्भ होने वाले शैक्षिणिक सत्र के लिए होगा।
(तीन) प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में शासन से अनुमोदन के उपरान्त गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा तथा परीक्षण के उपरान्त अनुपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों को विद्यमान कमियों को इंगित करते हुये निराकरण हेतु सम्बन्धित संस्था को 30 सितम्बर तक वापस कर

दिया जायेगा एवं सम्बन्धित संस्था द्वारा आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त 01 माह के अन्दर पुनः चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में विचारार्थ आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किया जायेगा। इसके उपरान्त भी आवेदन पत्र अनुपयुक्त पाये जाते हैं, तो उन्हे निरस्त कर दिया जायेगा तथा संस्था द्वारा जमा किये गये आवेदन शुल्क को जब्त कर लिया जायेगा।

(चार) समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों को चिकित्सा शिक्षा विभाग की संस्तुति के साथ सम्बन्धित संस्थान के निरीक्षण के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(पांच) सम्बन्धित संस्थान के भौतिक निरीक्षण हेतु सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन से अनुमोदन के उपरान्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार निरीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा।

(क) अध्यक्ष, अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा।

(ख) सदस्य निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के संयुक्त निदेशक स्तर अथवा उच्च स्तर का अधिकारी एवं सरकारी क्षेत्र से आवेदन की गयी विद्या से सम्बन्धित एक कार्मिक।

(छः) उक्त समिति द्वारा सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण 30 नवम्बर तक कर निरीक्षण आख्या निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(सात) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड जांच आख्या को समिति के सम्मुख परीक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे एवं मानकानुसार उपयुक्त पाये जाने पर अपनी संस्तुति के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र/ अनिवार्यता प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु सचिव, चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेंगे।

(आठ) परीक्षण के उपरान्त समिति द्वारा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों को कमियों के निराकरण हेतु 15 दिन का समय देकर प्रत्यावर्तित किया जायेगा। यदि निर्धारित समय के अन्तर्गत कमियों का निराकरण संस्था द्वारा नही किया जाता है तो आवेदन पत्र को निरस्त कर जमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

(नौ) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग निदेशालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त प्रस्तावों को शासन स्तर पर इस हेतु गठित समिति के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(दस) समिति द्वारा सम्बन्धित संस्था को प्रश्नगत पाठयक्रम हेतु अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त अनुमोदन के आधार पर सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सम्बन्धित संस्था को 28 फरवरी तक अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ग्यारह) सरकारी संस्थानों से आवेदन शुल्क नही लिया जायेगा।

(6) सरकारी चिकित्सालयों में शैय्याओं का आबद्धीकरण :–

(एक) किसी निजी संस्थान को अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालय की शैय्याओं की सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि उस क्षेत्र में राजकीय संस्थाओं की स्थापना होने अथवा प्रश्नगत चिकित्सालयों में शैय्याओं की आवश्यकता होने पर शैय्याओं की सम्बद्धता 03 माह का पूर्व नोटिस देकर समाप्त कर दी जायेगी तथा निजी संस्थाओं को इस मध्य अपना स्वयं का चिकित्सालय स्थापित करना होगा।

(दो) प्रशिक्षण संस्था को अपेक्षित संख्या में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु शैय्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर सचिव, चिकित्सा द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(तीन) राजकीय चिकित्सालयों में उन्ही संस्थाओं को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु शैय्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे विचार किया जा सकेगा, जिनके द्वारा सम्बन्धित प्रशिक्षण की 50 प्रतिशत सीटे उत्तराखण्ड शासन द्वारा भरे जाने, उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए निर्धारित शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने एवं संस्था में उच्च पदों पर नियुक्ति में उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों को वरीयता प्रदान किये जाने तथा श्रेणी तीन व चार के पदों को शत–प्रतिशत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों से ही सेवायोजित किये जाने हेतु सहममित प्रदान करते हुये एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया हो।

(चार) सम्बन्धित चिकित्सालयों में संस्था के सम्बन्धित पाठयक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी ` 2000/– प्रतिमाह शुल्क संस्था द्वारा दिया जाना होगा, जिसे वार्षिक व्यय के रूप में सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के नाम बैंक ड्राफट/चैक द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रशिक्षण प्रारम्भ कराने से पूर्व जमा करना होगा। शैय्या सम्बद्धिकरण हेतु संस्था को चिकित्सालयों से सम्बन्धित पाठयक्रम की अवधि के लिये एम0ओ0यू0 करना अनिवार्य होगा।

(पांच) प्रशिक्षण संस्था के छात्रों द्वारा अभ्यासिक प्रशिक्षण प्राप्ति के समय यदि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या राजकीय चिकित्सालय की चल अचल सम्पत्ति की क्षति की जाती है तो इसका हर्जाना संस्था द्वारा भरा जायेगा एवं स्थिति विवादित होने पर अभ्यासिक प्रशिक्षण समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित चिकित्सालय की प्रबन्ध समिति द्वारा जांच आख्या निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग निदेशालय, 107 चन्दर नगर, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी तथा निदेशक द्वारा प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(छः) निजी संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता हेतु प्रतिवर्ष उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन 01 वर्ष की अवधि के लिये एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जाना होगा, जिसे विभाग द्वारा 03 माह का पूर्व नोटिस देकर कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।

परा चिकित्सा प्रदान करने वाली संस्थाओं को विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा अनुमोदित शिक्षा के मानक पाठयक्रम की अवधि, निर्धारित संकाय, प्रयोगशाला के मानक व परीक्षा की स्कीम आदि के अनुसार पाठयक्रम संचालित करना होगा।

(सात) न्यूनतम मानकों का निर्धारण :
परा चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न पाठयक्रमों को चलाने में एकरूपता लिये जाने हेतु परिषद राज्य के विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से समय–समय पर विचार–विमर्श करेगी। न्यूनतम मानकों को अवधारित करने व उन्हे घोषित करने सम्बन्धी परामर्श राज्य सरकार को प्रदान करेगी।

(आठ) परा चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता दिया जाना
परा चिकित्सा व्यवसायियों को परा चिकित्सा शिक्षा संस्था चलाये जाने हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत हो जाने तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त व्यवस्थायें पूर्ण किये जाने के उपरान्त शिक्षण सत्र चलाने से पूर्व परा चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता दिये जाने हेतु आवेदन करना होगा। इस हेतु परिषद के पक्ष में ` 25000/– फीस प्रत्येक पाठयक्रम हेतु संदत किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र व विश्वविद्यालय से प्राप्त सम्बद्धता सम्बन्धी अभिलेखों का विवरण निर्धारित फीस के साथ आवेदन परिषद को मान्यता हेतु प्रस्तुत करेंगे। परिषद प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था का निरीक्षण करायेगी व उसके उपरान्त मान्यता दिये जाने सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

रजिस्टर का अनुरक्षण

18. (1) प्रत्येक परा चिकित्सा व्यवसायी प्ररूप–2 पर पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) परिषद परा चिकित्सा व्यवसायियों के नाम दर्ज करने हेतु प्ररूप–3 पर विहित रजिस्टर रखेगी, जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि पर सचिव/रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे। प्रत्येक व्यवसायी का विहित रजिस्टर में नाम दर्ज कराना आवश्यक होगा।

(3) रजिस्टर में प्रत्येक पाठयक्रम के लिए पंजीकरण का अंकन अलग–अलग किया जायेगा।

(4) नामांकित व्यवसायी के पते में परिवर्तन की सूचना पन्द्रह दिन के भीतर व्यवसायी द्वारा सचिव/रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से दी जायेगी।

(5) विहित रजिस्टर में नाम दर्ज करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सम्यक जांच करने के उपरान्त सचिव/रजिस्ट्रार परा–चिकित्सा व्यवसायी को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्ररूप–4 पर निर्गत करेगा;

राज्य के विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्रों में निर्धारित पाठयक्रम के निर्धारित संख्या के अभ्यर्थी पंजीकरण हेतु अनुमन्य होंगे;

परिषद गठन सें पूर्व प्रदेश अथवा प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों, जैसी भी स्थिति हो, के पंजीकरण के सम्बन्ध में शिथिलीकरण हेतु राज्य सरकार को परामर्श देगी जिसमें राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि आवेदन पत्र सम्यक रूप से पूर्ण न हो तो ऐसे में आवेदन पत्रों को कारण अभिलिखित करते हुए सम्बन्धित व्यवसायी को आवेदन पत्र पूर्ण करने हेतु लौटा दिया जायेगा।

यदि आवेदक आपेक्षित परा चिकित्सा पात्रता न रखता हो अथवा मान्यता प्राप्त अर्हतायें/मान्यता

प्राप्त संस्था से न प्राप्त की गयी हो तो पंजीकरण करने से इन्कार किया जा सकता है।

(6) विहित रजिस्टर में दर्ज व्यवसायी द्वारा यदि कोई व्यवसायिक अवचार किया जाता है तो ऐसे किये गये अवचार के सम्बन्ध में सम्यक रूप से जांच की जायेगी और सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा। जांचपरान्त यदि सम्बन्धित व्यवसायी दोषी पाया जाता है तो उसका नाम रजिस्टर से स्थायी रूप से अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हटा दिया जायेगा।

(7) प्रत्येक पांच वर्ष में रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर का पुनरीक्षण कर उसमें निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगी :–

(क) पूर्व में नामांकित व्यवसायियों की संख्या;

(ख) रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान नामांकित व्यवसायियों की संख्या;

(ग) ऐसे व्यवसायियों के नाम, जिनके नाम रजिस्टर में प्रत्यावर्तित किये गये हो;

(घ) उन व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम रजिस्टर के पुनरीक्षण के पांच वर्ष की कालावधि के दौरान रजिस्टर से हटाये गये हों, अधिनियम की वह धारा तथा उपधारा उल्लिखित कथित करते हुए, जिनके अधीन नाम हटाए गए हो;

(ड.) उन व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम रजिस्टर के पुनरीक्षण पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान मृत्यु होने के कारण रजिस्टर से हटाए गए हो;

(च) प्रथम रजिस्टर, प्रथम परिषद के गठन की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात् तीन माह के भीतर "राजपत्र" में प्रकाशित किया जायेगा।

(छ) पुनरीक्षित रजिस्टर, रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के पूर्ण होने के पश्चात तीन माह के भीतर "राजपत्र" में प्रकाशित किया जायेगा तथा उन नामांकित व्यवसायियों को, जो पुनरीक्षण के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हो, उन पर हुए प्रतिकूलता के बारे में पंजीकृत

डाक द्वारा सूचना दी जाएगी।
(ज) इस प्रकार प्रकाशित यथास्थित प्रथम रजिस्टर या पुनरीक्षण रजिस्टर की एक प्रति परिषद के सूचना पट पर चस्पा की जाएगी।
(झ) रजिस्टर की मुद्रित प्रतियां ऐसे मूल्य पर, जो कि परिषद द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जाए, विक्रय के लिए उपलब्ध करायी जा सकेगी;

(ञ) रजिस्टर की एक ऐसी मुद्रित प्रति रजिस्ट्रार द्वारा रखी जायेगी, जिसमें दो पृष्ठों के बीच में एक नया पृष्ठ जोड़ा हुआ हो, जिसमें वह प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी प्रविष्टि, परिवर्तन या कांट–छांट करेगा, जो कि आवश्यक हो;

(ट) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रारूप–दो में होगा तथा उसके साथ दो हजार रूपये फीस तथा अतिरिक्त आर्हता हेतु ` एक हजार फीस का भुगतान करने सम्बन्धी समाधानप्रद साक्ष्य तथा मान्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र की सत्यप्रति जो किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हो, संलग्न करनी होगी। आवेदक अपने आवेदन पत्र के समर्थन में ऐसे अन्य प्रमाण पत्रों तथा दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां भी संलग्न करेगा, जिन्हे वह आवश्यक समझता है तथा रजिस्ट्रार आवेदक से ऐसे अन्य प्रमाण–पत्रों या मूल प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिन्हें वह पंजीकृत किये जाने हेतु आवश्यक और समीचीन समझे;

पंजीकरण प्रमाण पत्र पांच वर्ष के लिए जारी किया जाएगा तद्परान्त सम्यक् प्रक्रिया से नवीनीकरण कराना होगा;

(ठ) पंजीकरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति में प्रत्येक पंजीकृत परा–चिकित्सीय व्यवसायी को विहित रजिस्टर के आधार पर पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा, ऐसा प्रमाण पत्र खो जाने, विरूपित हो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में पांच सौ रूपये मात्र का भुगतान करने पर उसकी दूसरी प्रति रजिस्ट्रार द्वारा जारी की जायेगी और

इस प्रकार जारी किए गए प्रमाण पत्र पर शब्द "द्वितीय प्रति" अंकित किया जायेगा।

रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि करने की रीति, उसकी फीस का संदाय, शर्तें और अपेक्षाएं

19. (1) परिषद किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्टर से स्थायी रूप से नही हटाया गया है, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूर्ण करने के पश्चात रजिस्टर में पुनः दर्ज कर सकेंगी :–

(क) अवचारों से सम्बन्धित जांच प्रकिया के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान करनें के पश्चात धारा 28 के अन्तर्गत यदि वह दोषी नही पाया जाता है;

(ख) तथ्यों का छिपानें का आरोप गलत सिद्ध हो जाने पर; और

(ग) किसी प्राप्त शिकायत की जांच हेतु आवश्यक अभिलेख तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि शिकायत निराधार थी।

(2) रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि हेतु रू एक हजार मात्र की फीस परिषद के नाम से देहरादून में देय डिमाण्ड ड्राफट के माध्यम से जमा करनी होगी।

(3) अधिनियम की धारा 29 के अधीन भुगतान किये जाने के लिए अपेक्षित फीस, मांगदेय (डिमाण्ड ड्राफट) द्वारा की जायेगी।

(4) नवीनीकरण : पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष की समाप्ति पर पंजीकृत व्यवसायी को अपने पंजीकरा का नवीनीकरण कराना होगा जिसके लिए पूर्व में निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र समर्पित करने के साथ ` 1000 नवीनीकरण शुल्क जमा कराना होगा।

वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार तथा सदाचार संहिता के मानदण्ड

20(अ) (1) अधिनियम की धारा 27 के अधीन नामांकन के समय प्रत्येक आवेदक इन विनियमों से संलग्न प्ररूप–5 में लिखित एवं हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा।

(2) परा–चिकित्सीय व्यवसायी अपने व्यवसाय का प्रारम्भ करते समय व्यवसायिक शिष्ट आचरण के सिद्धान्तों के अनुरूप तथा सभ्य पुरूष के रूप में आचरण करने की अपेक्षा करता है, उसे अपने सहकर्मियों के साथ बन्धुत्व की भावना रखनी

चाहिए तथा उन्हे न तो किसी कार्य अथवा शब्दों द्वारा उनकी उपेक्षा करनी चाहिए।

(3) परा चिकित्सा व्यवसाय सर्वोच्च चरित्र तथा सदाचार की अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है तथा ऐसे स्तर को प्राप्त करना प्रत्येक व्यवसायी न केवल व्यवसायी के प्रति बल्कि समान रूप से जनता के प्रति कर्तव्य है।

(4) किसी परा–चिकित्सा व्यवसायी को उस समुदाय में, जहां वह व्यवसाय कर रहा है, व्यवसायिक सेवाओं के लिए प्रत्युपकार में, ऐसी समरूपता से जुड़ना व सेवायें प्रदान करना जैसी अपेक्षित हों।

(5) परा–चिकित्सीय व्यवसायी का कार्य अपने व्यवसाय के अन्तर्गत, रोग निदान सम्बन्धी चिकित्सक के संदर्भण द्वारा या अन्य परा–चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा उसे सौंपे गए काम तक सीमित है। जांच या काम के पूर्ण होने पर उसके बारे में किसी की अपनी राय या निष्कर्ष देने की उससे अपेक्षा नही की जाती है।

(6) ऐसा कोई भी परा–चिकित्सा व्यवसायी, जो किसी रोगी के साथ व्यभिचार करने या अनुचित व्यवहार करने या साहचर्य द्वारा अपनी व्यवसायिक स्थिति का दुरूपयोग करता है तो उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2009 की धारा 27 की उपधारा (1) से (4) में यथा उपबन्धित कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा।

अवचार से सम्बन्धित जांचों की प्रकिया 20(ब) जांच

(1)(क) परिषद स्वप्रेरणा से अथवा किसी पंजीकृत परा चिकित्सा व्यवसायी के दुर्व्यवहार के विरूद्ध किसी प्राप्त शिकायत के आधार पर इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु जांच करेगी।

(ख) किसी पंजीकृत परा चिकित्सा द्वारा किये गये कदाचार की शिकायत अथवा सूचना प्रथमतः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा देखी जाऐगी एवं तत्पश्चात रजिस्ट्रार उसे अनुशासन समिति के अध्यक्ष के

समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(ग) परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित केवल लिखित एवं शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित शिकायत ही स्वीकार की जायेगी, जिसमें शिकायतों के कारणों का उल्लेख तथा प्रकरणों के तथ्यों से सम्बन्धित घोषणायें संलग्न होगी। अनुशासन समिति के अध्यक्ष द्वारा बिना नाम समस्त शिकायतों पर; जब तक कि उन पर व्यवसाय के वृहतर हित में कार्यवाही करना आवश्यक न हो, ध्यान नही दिया जायेगा।

(घ) प्रत्येक घोषणा पत्र में प्रस्तुतकर्ता का विवरण एवं उसके वास्तविक निवास स्थान का उल्लेख होना चाहिए। घोषणा पत्र में उल्लिखित तथ्य यदि उसकी निजी जानकारी से नही दिया गया है, तो उस सूचना स्रोत और आधार के सही–सही और पूर्ण विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर घोषणाकर्ता को मामले की सत्यता पर विश्वास है। इस नियम के उल्लंघन में की गई घोषणा अथवा उसका कोई अंश साक्ष्य के रूप में स्वीकार नही किया जायेगा।

(ड.) यदि अनुशासन समिति के अध्यक्ष को यह विश्वास करने का कारण हो कि शिकायतकर्ता छदमनामी है तो वह यह सुनिश्चित करने के लिये कि शिकायत वास्तविक है अथवा नही, शिकायतकर्ता से अन्य विवरण मांग सकता है।

अनुशासन समिति को शिकायत प्रस्तुतीकरण

(2) (क) अनुशासन समिति नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत शिकायतकर्ता द्वारा परा चिकित्सा व्यवसायी के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत व समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर रजिस्ट्रार को यह निर्देश देगी कि वह पंजीकृत पत्र द्वारा परा चिकित्सा व्यवसायी से उस शिकायत के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण, यदि वह देना चाहे मांगे।

(ख) शिकायत से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों जिनमें पंजीकृत परा चिकित्सा व्यवसायी से प्राप्त स्पष्टीकरण भी सम्मिलित होगा, अनुशासन समिति को भेजे जायेंगे।

(ग) अनुशासन समिति तदन्तर शिकायत पर विचार करेगी और आगे जांच करायेगी एवं विधि व्यवसायियों/चिकित्सकीय विधि परामर्शदाताओं/चिकित्सा विशेषज्ञों से, जैसा वह उचित समझे,

विधिक परामर्श ले सकती है।

(घ) अनुशासन समिति के अध्यक्ष द्वारा प्ररूप–6 में, जिसमें प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकेगा। पंजीकृत परा चिकित्सा व्यवसायी को सूचित किया जायेगा। ऐसी सूचना में आरोपों को प्रकृति तथा पूर्ण विवरण सुस्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जायेगा और उसें सूचित किया जायेगा कि परिषद किस दिन उसके मामले को सुनना चाहती है। परा चिकित्सा व्यवसायी को अधिकतम 15 दिन अथवा ऐसा समय जो 60 दिन से अधिक नही होगा, जैसा अनुशासन समिति द्वारा अनुमति दी जाये, अपने बचाव में लिखित बयान देने तथा उस दिनांक को, जो समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया जायेगा। इस हेतु सूचना जांच की तिथि से न्यूनतम तीन सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिए।

(ड.) अनुशासन समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:–

अनुशासन समिति निम्नलिखित संस्तुतियां कर सकती है :–

(एक) कि शिकायती आरोपों के सम्बन्ध में दिये गये स्पष्टीकरण की सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में सम्यक विचारोपरान्त परा चिकित्सा व्यवसायी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अपर्याप्त करते हुये परा चिकित्सा व्यवसायी को दोषमुक्त करें अथवा

(दो) परिषद की उप विधियों के अनुसार दंड दिया जाये।

(तीन) जब तक कि पात्र सभी पंजीकृत व्यक्तियों के लिये पंजीकरण अनिवार्य न कर दिया जाये परिषद को उस परा चिकित्सा व्यवसायी को पंजीकृत करने वाली अन्य परिषद को यदि कोई हो, उत्तरांचल परा चिकित्सा परिषद की सिफारिशों से अवगत कराया जायेगा।

उपरोक्त संस्तुतियां परिषद के अनुसमर्थन हेतु भेजी जायेंगी।

पंजीकृत परा चिकित्सा व्यवसायी को आरोपों की सूचना

(3)(क) आरोपों की सूचना में आरोपों का विवरण संलग्न कर भेजा जाये जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्येक आरोप का आधार क्या है, संगत आरोप की सत्यता

क्या है, आरोप किस निष्कर्ष को इंगित करते हैं। निष्कर्ष के समर्थन में साक्ष्य व परिस्थितियों तथा अन्य परिस्थितियों का, जिन पर आदेश पारित करते समय विचार किया जाना प्रस्तावित है, स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(ख) ऐसे पंजीकृत परा चिकित्सा व्यवसायी को सूचना व आरोप के विवरण के साथ सभी सुसंगत अभिलेखों की प्रतियां, यदि कोई हो, जिसमें वह सभी अभिलेख तथा साक्ष्य सम्मिलित होंगे जो प्रतिपक्षी द्वारा या उसकी ओर से अनुशासन समिति को दिया गया हो, जिसके लिए प्रतिपक्षी जांच की सूचना में विनिर्दिष्ट आरोपों के समर्थन व उत्तर में सुनवाई के समय समुचित प्रमाण देने पर साक्ष्य के रूप में उपयोग करने का हकदार होगा।

(ग) ऐसे परा चिकित्सा व्यवसायी के अनुरोध पर उसे ऐसे अन्य अभिलेखों और विवरणों की प्रतियां दी जा सकती हैं या उसकी प्रतियां ले जाने की अनुमति दी जा सकती है, जिनकी अपने बचाव के लिये उसे आवश्यकता हो।

आरोप पत्र का उत्तर

(4) पंजीकृत परा चिकित्सा व्यवसायी नोटिस में विनिर्दिष्ट समय अथवा ऐसी अवधि में जिसकी अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जाये अपने बचाव में अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करेगा और बतायेगा कि क्या वह अपने बचाव में अनुशासन समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का इच्छुक है।

सदस्यों को शिकायतों के समस्त अभिलेखों की प्रतियां दिया जाना

(5)(क) परिषद के सामने वाद के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये समस्त सारपूर्ण अभिलेखों तथा बचाव में प्रस्तुत किया गया लिखित बयान, यदि कोई हो की प्रतियां वाद की सुनवाई से पूर्व अनुशासन समिति के सभी सदस्यों को दी जायेंगी।

(ख) शिकायतकर्ता लिखित आवेदन प्रस्तुत कर किसी अभिलेख व स्पष्टीकरण, विवरण व अन्य किसी साक्ष्य की प्रतियां, जो पंजीकृत परा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अपने बचाव में दिया गया हो, प्राप्त कर सकता है।

जांच प्रकिया

(6)(क) यदि शिकायतकर्ता स्वयं अथवा अपने

अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होता है तो निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जायेगी।

(एक) रजिस्ट्रार अनुशासन समिति के समक्ष अध्यक्ष को सम्बोधित जांच का नोटिस पढ़ेगा।

(दो) तत्पश्चात शिकायतकर्ता को अपना पक्ष स्वयं तथा उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया जायेगा। समस्त साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त वाद के प्रकरण में उसकी सहभागिता समाप्त समझी जायेगी।

(तीन) तदन्तर परा चिकित्सा व्यवसायी को अपना पक्ष स्वयं तथा उसके समर्थन में सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा। वह साक्ष्य प्रस्तुत करने से पूर्व अथवा अन्त में, किन्तु मात्र एक बार, अनुशासन समिति को सम्बोधित कर सकेगा।

(चार) परा चिकित्सा व्यवसायी के प्रतिवाद के अन्त में यदि उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है, अनुशासन समिति उसके उत्तर में शिकायतकर्ता को सामान्यतः सुनेगी, किन्तु किसी विशेष स्थिति के अतिरिक्त जब समिति ऐसा अन्य साक्ष्य प्राप्त करना उचित समझे, कोई अतिरिक्त वाद स्वीकार नही किया जायेगा। यदि परा चिकित्सा व्यवसायी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करता है तो समिति की विशेष अनुमति के अतिरिक्त शिकायतकर्ता को नही सुना जायेगा।

(पांच) यदि किसी पक्ष द्वारा अनुशासन समिति के समक्ष कोई साक्षी प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी पहली परीक्षा का अधिकार प्रस्तुतकर्ता पक्ष को होगा तत्पश्चात उसका विपक्ष द्वारा परीक्षण किया जायेगा एवं उसका पुनः परीक्षण किया जायेगा।

(छः) अनुशासन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को शिकायतकर्ता, पंजीकृत परा चिकित्सा व्यवसायी तथा अन्य किसी साक्षी से प्रश्न करने का अधिकार होगा।

(ख) यदि कोई शिकायतकर्ता न हो अथवा उपस्थित न हुआ हो, वहां निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जायेगीः—

(एक) रजिस्ट्रार अनुशासन समिति के समक्ष जांच की उस सूचना पढेगा जो परा चिकित्सा व्यवसायी से सम्बन्धित है तथा अनुशासन समिति के समक्ष वाद की पुष्टि हेतु उपलब्ध तथ्यों का उल्लेख करेगा तथा पंजीकृत परा चिकित्सा व्यवसायी की उपस्थिति में उस साक्ष्य को प्रस्तुत करेगा, जिसके द्वारा उसका समर्थन किया गया है।

(दो) तत्पश्चात परा चिकित्सा व्यवसायी को अपना पक्ष स्वयं तथा उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा। वह अनुशासन समिति को अपने साक्ष्य के प्रस्तुत करने से पूर्व अथवा अन्त में, किन्तु मात्र एक ही बार, सम्बोधित करेगा।

जांच कार्यवाही के अभिलेख

(7) अध्यक्ष, अनुशासन समिति, रजिस्ट्रार के माध्यम से इन नियमों के अन्तर्गत की गई जांच कार्यवाही का अभिलेख एवं प्रत्येक साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य रखेगा तथा कार्यवाही के अभिलेखों पर प्रतिदिन दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करेगा।

अनुशासन समिति को परा चिकित्सा व्यवसायी को अतिरिक्त अवसर दिये जाने का अधिकार

(8) इन नियमों में से किसी बात के होते हुये भी जांचोपरान्त परा चिकित्सा व्यवसायी को अनुशासन समिति द्वारा मौखिक अथवा लिखित विवरण प्रस्तुत करने का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जा सकता है और ऐसे साक्ष्यों की प्रतियां, जिनकी पंजीकृत परा चिकित्सा व्यवसायी को आवश्यकता हो, ऐसा बयान देने के लिए उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जायेंगे।

अनुशासन समिति के निर्णय व उनका कियान्वयन

(9) वाद की सुनवाई समाप्त होने पर तथा जब तक परा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अपना मौखित अथवा लिखित बयान प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद, अनुशासन समिति एकान्त में उस पर विचार विमर्श करेगी और विचार विमर्श के पश्चात अध्यक्ष अनुशासन समिति के निर्णय को परिषद द्वारा अनुसमर्थन हेतु भेजेंगे एवं शीघ्र अपने निर्णय को घोषणा करेंगे। यदि उसके तुरन्त बाद निर्णय घोषित करना सम्भव न हो, तो अध्यक्ष अनुशासन समिति रजिस्ट्रार को निर्देश देंगे की वह 15 दिन के अन्दर पंजीकृत पत्र द्वारा वादी व प्रतिवादी को परिषद के निर्णय से अवगत करायें तथा उसे कियान्वित करें।

परा चिकित्सा व्यवसायियों में से पांच सदस्यों के निर्वाचन करने की रीति

21. (1) राज्य सरकार परा चिकित्सा व्यवसायियों में से पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन अधिकारी तथा उतने ही अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करेगी। सामान्यतया रजिस्ट्रार ही निर्वाचन अधिकारी होगा यदि राज्य सरकार आदेश द्वारा विहित न करे अन्यथा परिषद के सदस्यों के चुनाव हेतु निम्नलिखित रीति अपनायेगी :–

(क) निर्वाचन अधिकारी परिषद के रजिस्ट्रार से अधिनियम की धारा 3 के प्रयोजन के लिए तीस दिन की कालावधि के भीतर पंजीकृत परा–चिकित्सीय व्यवसायियों की एक सूची हिन्दी में बनवाएगा। ऐसी सूची प्रपत्र–1 में तैयार की जाएगी तथा वह मतदाता सूची कहलाएगी। आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, विकीरण निदानीकरण या नाभिकीय चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा व्यवसायियों की अलग–अलग सूची होगी।

(ख) तैयार की गयी मतदाता सूची परिषद के सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा और ऐसी सूची के सम्बन्ध में :–

(एक) आपत्तियां तथा दावे आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी; और

(दो) परिषद के रजिस्ट्रार द्वारा यदि कोई आपत्तियां अथवा दावे हो तो सुनवाई के लिए तिथि तथा समय निश्चित की जाएगी;

(तीन) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर रजिस्ट्रार द्वारा मतदाता सूची को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए निम्नलिखित बातें निश्चित करेगा :–

(क) नामांकन करने के लिए दिनांक, स्थान और समय;

(ख) नामांकन पत्रों की परिनिरीक्षा करने का दिनांक, स्थान और समय;

(ग) उम्मीदवारों से नाम वापस लेने का दिनांक, समय और स्थान;

(घ) दिनांक और समय जिसके बीच मतदान, यदि आवश्यक हो; होगा;

(3) निर्वाचन अधिकारी दिनांक, स्थान और समय की सार्वजनिक सूचना देगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (3) के अधीन दी गयी सूचना में निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और मतदान का स्थान भी विनिर्दिष्ट करेगा।

आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के दो पदों, विकिरण चिकित्सा व्यवसायियों के दो पदों, भौतिक चिकित्सा व्यवसायियों के एक पद हेतु निर्वाचन किया जायेगा।

(5) नामांकन हेतु नियत दिनांक को प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या अपने प्रस्तावित या अनुमोदक द्वारा नियत समय में प्रपत्र–2 में सम्यक रूप से पूरित नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा। प्रपत्र में यह भी स्पष्ट करना होगा कि किस व्यवसाय हेतु नामांकन किया जा रहा है।

(6) प्रत्येक नामांकन पत्र पर दो व्यक्तियों द्वारा, जो मत देने के लिए अर्ह हों, क्रमशः प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षरित किया जायेगा और अभ्यर्थी उसमें निर्वाचन में खड़े होने की अपनी सहमति व्यक्त करने की घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।

(7) एक ही व्यक्ति प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में उतने नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकेगा, जितने सदस्य निर्वाचित किये जाने हों।

(8) निर्वाचन अधिकारी नाम नामांकन पत्र प्राप्त होने पर उसकी क्रम संख्या अंकित करेगा और उस पर वह दिनांक ओर वह समय पृष्ठांकित करेगा जब नामांकन पत्र उसे दिया गया था।

(9) नियत दिनांक और समय के पश्चात प्राप्त नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे।

(10) नामांकन पत्र देते समय या उसके पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकारी के पास दो हजार रूपये की धनराशि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा।

(11) कोई भी अभ्यर्थी जिसने उपनियम (10) में निर्दिष्ट धनराशि जमा की हो, निर्दिष्ट रीति से और समय के भीतर अभ्यर्थिता से अपना नाम वापस ले सकता है या यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी के नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है तो जमा धनराशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी और यदि मतदान से पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो इस प्रकार जमा धनराशि उसके विहित प्रतिनिधियों को वापस कर दी जायेगी।

(12) यदि कोई अभ्यर्थी जिसने उपनियम (10) में निर्दिष्ट धनराशि प्रदान की हो और निर्वाचित न हो और उसे प्राप्त मतों की संख्या डाले गये मतों की कुल संख्या को निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से भाग देने पर उसके पांचवे भाग से अधिक न हो तो जमा धनराशि परिषद के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी।

(13) उपनियम (12) के प्रयोजनार्थ अस्वीकार मत पत्रों से भिन्न गणना किये गये मतपत्रों की कुल संख्या डाले गये मतों की कुल संख्या समझी जायेगी।

(14) किसी अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धनराशि यदि वह उपनियम (12) के अधीन समपहृत न कर ली जाय, निर्वाचन परिणाम के प्रकाशित होने के पश्चात यथाशीघ्र अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी।

(15) निर्वाचन अधिकारी प्रस्तुत नामांकन पत्रों के प्रस्तावक, अनुमोदक और अभ्यर्थी के नाम का सत्यापन मतदाता सूची से करेगा।

(16) नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए निश्चित दिनांक के पश्चात यथाशीघ्र निर्वाचन अधिकारी प्राप्त सभी नामांकन पत्रों को प्रपत्र–3 में एक नोटिस के साथ प्रस्तुत करेगा कि नाम निर्दिष्ट पत्रों का परिनिरीक्षण निश्चित दिनांक को सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर किया जायेगा।

नामांकन पत्रों की सूची और नोटिस ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी जैसा निर्वाचन अधिकारी उचित समझे।

(17) नामांकन पत्रों के निरीक्षण के लिए निश्चित दिनांक, समय और स्थान पर अभ्यर्थी प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से सम्यक रूप से एक अन्य व्यक्ति उपस्थित हो सकता है और निर्वाचन अधिकारी उन्हे समस्त अभ्यर्थी के नामांकन पत्रों का निरीक्षण करने के लिए सभी युक्ति सुविधाऐं देगा।

(18) निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों का निरीक्षण करेगा और उन समस्त आपत्तियों पर निर्णय देगा जो परिनिरीक्षण के समय किसी नामांकन पत्र के सम्बन्ध में की जाए और ऐसी आपत्तियों या स्व–प्रेरणा से ऐसी जांच के यदि कोई हो, पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे निम्नलिखित में से किसी आधार पर किसी नामांकन पत्र को अस्वीकार कर सकता है कि :–

(क) उम्मीदवार अधिनियम या नियमावली या इन विनियमों के अधीन सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह नही है।

(ख) अधिनियम या नियमों या इन विनियमों के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक हुई है;

(ग) अभ्यर्थी या प्रस्तावक या अनुमोदक के हस्ताक्षर वास्तविक नही है;

(घ) अभ्यर्थी या प्रस्तावक या अनुमोदक ऐसा व्यक्ति है, जिनका नाम मतदाता सूची में नही है।

(19) निर्वाचन अधिकारी किसी नामांकन पत्र को किसी तकनीकी दोष या अन्य त्रुटि के आधार पर, जो सारपूर्ण प्रकार के न हों, अस्वीकार नही करेगा और किसी ऐसे दोष या त्रुटि को दूर करने के प्रयोजनार्थ नामांकन पत्र में इसी प्रविष्टि को सुधारने की अनुमति दे सकता है।

(20) उसे नियम (19) के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुधार करने के लिए दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नही की जायेगी।

(21) निर्वाचन अधिकारी इस निमित्त नियत दिनांक और समय पर परिनिरीक्षा करेगा और यदि वह कार्य के हित में उचित समझे तो कार्यवाही को स्थगित करने की अनुमति दे सकेगा परन्तु परिनिरीक्षा नाम वापस लेने के लिए निश्चित दिनांक और समय के पूर्व पूर्ण की जायेगी।

(22) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामांकन अस्वीकार कर दिया जाये तो वह इस प्रकार अस्वीकार करने के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अंकित करेगा।

(23) कोई अभ्यर्थी नाम वापस लेने कि लिए निश्चित दिनांक और समय पर या उसके पूर्व निर्वाचन अधिकारी को लिखित देकर अभ्यर्थिता से अपना नाम वापस ले सकता है।

(24) नामांकन पत्रों की परिनिरीक्षा पूरी हो जाने पर और उस अवधि की समाप्ति के पश्चात जिसके भीतर उप विनियम (23) के अधीन अभ्यर्थता से नाम वापस लिया जा सकता है, निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र–4 में उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा जिनके नामांकन नियमानुकूल हो और जिन्होने अभ्यर्थिता से अपना नाम वापस नही लिया हो और उसे परिषद के कार्यालय में किसी सहज दृश्य स्थान पर निर्वाचन के लिए निश्चित दिनांक से न्यूनतम सात दिन पूर्व चस्पा करायेगा।

(25) जहां उपविनियम (24) के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाता है कि प्रत्याशियों की संख्या वहां के स्थानों की संख्या से कम है, वह सम्यक रूप से निर्वाचित घाषित करेगा और ऐसी सूची को सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित करेगा।

(26) जहां निर्वाचन अधिकारी यह पाये कि प्रत्याशियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक है, वहां निर्वाचन अधिकारी आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि मतदाता नियत दिनांक को होगा।

(27) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही नाम के हो तो उनके नाम के साथ पिता का नाम लिखकर या किसी अन्य रीति से उनका अन्तर प्रकट किया जायेगा।

(28) तत्पश्चात निर्वाचन अधिकारी वर्णमाला क्रम में, जो नामांकन पत्र में दिये गये वास्तविक नाम के निर्देश में अवधारित किया जायेगा।

(29) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्याशी या उसका निर्वाचन अधिकर्ता मतदाताओं में से किसी अन्य व्यक्ति को मतदान स्थान पर ऐसे प्रत्याशी के मतदान अभ्यर्थिता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ऐसी नियुक्ति लिखित पत्र द्वारा की जायेगी, जिसे मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी के पास रखा जायेगा।

(30) प्रत्येक सविरोध निर्वाचन की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए विनिर्दिष्ट चिन्हों में से एक पहचान चिन्ह आबंटित करेगा और उसकी सूचना अभ्यर्थी या उसके अधिकर्ता को दी जायेगी।

(31) प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्रपत्र में तथा विवरण ऐसी भाषा में होगा जैसा निर्वाचन अधिकारी विनिर्दिष्ट करें। मतपत्र प्रत्याशियों के नाम उसी क्रम में होंगे, जिस क्रम में वे लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची में आये हों।

मतदान हेतु परिषद के अध्यक्ष द्वारा एक पीठासीन अधिकारी को नामित किया जायेगा।

(32) प्रत्येक मतदान पेटी इस प्रकार से बनाई जायेगी कि मतदान के समय उसमें मतपत्र डाला जा सके, किन्तु उसे मतपत्र पेटी की खोले बिना और मोहर तोड़े बिना निकाला न जा सके,

(33) पीठासीन अधिकारी मतदान स्थल पर ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह मतदाताओं की पहचान करने में मदद करने या अन्यथा मतदान करने में अपनी सहायता के लिए उचित समझे बिना किसी पारिश्रमिक के सेवायोजित कर सकता है।

(34) प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होगा, जितने सदस्य निर्वाचित होने है और उसे उतने प्रत्याशियों के जितने सदस्य

निर्वाचित किये जाने हों, नामों के सामने चिन्ह लगाकर ऐसे मत देने का अधिकार होगा, किन्तु कोई मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत नही\देगा।

मतपेटियों की सुरक्षा रजिस्ट्रार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(35) निर्वाचन अधिकारी परिषद के अनुमोदन से मतों की गणना के लिए कोई दिनांक नियत करेगा जो मतदान के पूरा होने के पश्चात जहां तक व्यवहार्य हों, होगा और वह स्थान व समय जहां पर जब मतों की गणना की जायेगी, निश्चित करेगा। प्रत्याशी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को ऐसे दिनांक, समय और स्थान की सूचना दी जायेगी।

(36) निर्वाचन अधिकारी किसी मत को अस्वीकार कर देगा, यदि:—

(क) उस पर कोई ऐसा चिन्ह या लेख है, जिससे मतदाता पहचाना जा सकता हो; या

(ख) वह अप्रमाणिक मतपत्र है; या

(ग) वह इस प्रकार क्षत या विक्षत किया गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसका तारतम्य स्थापित नही किया जा सकता हो; या

(घ) उस पर अपेक्षित स्थानों की संख्या से अधिक प्रत्याशियों को मत दिया गया हो; तो

(ड.) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न किया गया हो;

(37) निर्वाचन अधिकारी अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करने वाले उतने उम्मीदवारों को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा, जितने स्थानों को भरा जाना हो;

परन्तु यह कि किसी प्रत्याशी या उसकी ओर से उसके निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा आवेदन पत्र देने पर निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पूर्व निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मतों की फिर से पूरी या आंशिक गणना की जायेगी; परन्तु निर्वाचन अधिकारी किसी ऐसे आवेदन पत्र को जो उसे अनुचित या अप्रभावी हो, अस्वीकार करने के आधार अभिलिखित करते हुए अस्वीकार कर सकेगा।

(38) यदि किसी निर्वाचन में मत गणना के पश्चात दो या दो से अधिक प्रत्याशियों के मत बराबर पायें

जायें और एक मत जोड़ देने से कोई प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किये जाने का हकदार हो जाय, तो निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति में ऐसे रीति से जैसा वह अवधारित करें, पर्चियां डालेगा और जिन प्रत्याशियों के नाम पर्चियां निकले, उन्हे उस सीमा तक जहां तक स्थान भरे जाने हैं, निर्वाचित घोषित करेगा।

(39) निर्वाचन अधिकारी यथाशीघ्र निर्वाचित व्यक्तियों के नाम और उन स्थानों का विवरण जो निर्वाचित हुए हों, परिषद को देगा और ऐसे निर्वाचन के पश्चात् रिक्त शेष स्थानों की सूचना भी देगा। निर्वाचित प्रत्याशियों की सूची राजपत्र में प्रकाशित भी करेगा।

परिषद द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का विवरण

प्रथम पंजीकरण शुल्क	` 2000/–
पंजीकरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति हेतु शुल्क	` 500/–
नवीनीकरण हेतु शुल्क 5 वर्ष हेतु	` 1000/–
अतिरिक्त योग्यता के लिए पंजीकरण शुल्क	` 1000/–
नाम परिवर्तन हेतु शुल्क	` 1000/–
पुनः नाम प्रविष्टि हेतु शुल्क	` 1000/–
अन्य परिषद से स्थानान्तरण हेतु पंजीकरण शुल्क (यदि विधि मान्य हो)	` 1500/–
सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकन शुल्क	` 2000/–
मान्यता हेतु शुल्क (निरीक्षण सहित)	` 25000/–

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 229 XXVIII(1)/2014-02(पैरा0)2009 T.C II दिनांक–10 जुलाई, 2014 का संलग्नक–1

प्ररूप–1

विनियम 11 का उपविनियम(4)
यात्रा भत्ता देयक का प्रारूप

नाम :..... पदनाम :.....

यात्रा का विवरण					रात्रि विश्राम	अनुप्रसांगिक व्यय	यात्रा का प्रयोजन	राशि
दिनांक	समय	कहां से कहां तक	साधन (रेल / कार / बस / अन्य)	किराया				
योग								

संलग्नक यदि कोई हो तो की सूची

दावाकर्ता के हस्ताक्षर

केवल `..... के भुगतान हेतु पारित।

भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर

केवल ` (अंकों में) ..... (शब्दों में) ..... की धनराशि प्राप्त की गई।

हस्ताक्षर प्राप्तिकर्ता

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 229 XXVIII(1)/2014-02(पैरा0)2009 T.C II दिनांक–10 जुलाई, 2014 का संलग्नक–2

रजिस्ट्रार परा चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड

प्ररूप–2

पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप

विनियम 18 उपविनियम (1)

रजिस्ट्रार–परा चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय,

मैं परा चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 25 एवं धारा 26 के अधीन अवधारित परा चिकित्सकीय व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में अपना नाम पंजीकृत करने हेतु निवेदन करता हूं। कृपया मेरे नाम का राज्य रजिस्टर में पंजीकृत कर मुझे पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाय।

पंजीकरण हेतु आवश्यक सूचनायें निम्नवत हैं:–

नाम– कुल नाम.....मध्य नाम.....प्रथम नाम.....
(विवाहित महिला हो तो विवाह पूर्व नाम तथा कुल नाम)
पिता का नाम..... लिंग (पुरूष/महिला)
पता अस्थाई.....
स्थाई .....
जन्म का स्थान व दिनांक.....राष्ट्रीयता.....

प्रमाण–पत्रों, उपाधियों पत्रोपाधियों की सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं। पंजीकरण फीस के रूप में ` 2,000.00 मात्र एवं अतिरिक्त अर्हता हेतु ` 1000.00 का बैंक ड्राफट कमांक..... दिनांक..... संलग्न है।

शैक्षिक अर्हता का विवरण

अर्हताओं का विवरण जिसका पंजीकरण अपेक्षित है/ विश्वविद्यालय अथवा अनुज्ञापी संस्थाओं के नाम	अर्हतायें प्राप्त करने की तिथियां और डिग्री/डिप्लोमा का नाम उस संस्था का नाम जहां से परीक्षा में सम्मिलित हुआ। दिनांक डिग्री/विश्वविद्यालय/संस्था का नाम

तिथि जब से आवेदक ने व्यवसाय प्रारम्भ किया .....वर्तमान व्यवसाय/विद्या का नाम.....

किसी अन्य परिषद से पंजीकरण यदि कोई हो तो उसका विवरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त दी गयी जानकारी सत्य है तथा मैं वचन देता हूं कि परा चिकित्सा परिषद द्वारा समय–समय पर अधिकथित किये गये व्यवसाय के शिष्टाचार के उन नियमों का पालन करूंगा जिसका व्यवसायी के रूप में अनुपालन किया जाता है।

दिनांक ..... आवेदक के हस्ताक्षर

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 229 XXVIII(1)/2014-02(पैरा0)2009 T.C II दिनांक– 10 जुलाई, 2014 का संलग्नक–3

प्ररूप–3
उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद
व्यवसायियों के रजिस्टर का प्रपत्र

विनियम 18 का उपविनियम (2)

क्र0 सं0	पंजीकरण संख्या	पूरा नाम तथा पिता का नाम	जन्मतिथि	पता	राष्ट्रीयता	शैक्षिक अर्हतायें	शैक्षिक अर्हतायें प्राप्ति तिथि तथा संस्था का नाम	पंजीकरण का दिनांक	यदि निस्काशित हों तो दिनांक	निष्कासन के बाद पुनः पंजीकृत होने का दिनांक	व्यवसायी के हस्ताक्षर	व्यवसायी का फोटो	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 229 XXVIII(1)/2014-02(पैरा0)2009 T.C II दिनांक– 10 जुलाई, 2014 का संलग्नक–4

प्ररूप–4
(अधिनियम धारा 25 विनियम 18(4)(ठ))
उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद

परिषद प्रतीक चिन्ह

(उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद अधिनियम 2009 के अधीन गठित)

पंजीकरण प्रमाण पत्र

पंजीकरण संख्या .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती .....

(जिनके हस्ताक्षर बाक्स में हैं)

जिनकी निम्न शैक्षिक अर्हताएं हैं, को उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद अधिनियम 2009 की धारा 25 के अन्तर्गत ..... की विधा हेतु पंजीकृत किया गया है।

(डिग्री/पी.जी. डिप्लोमा) (विषय) (विश्वविद्यालय का नाम)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद द्वारा विहित राज्य रजिस्टर में उपर विनिर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसायी के नाम की प्रविष्टि है जिसके आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

विनियमों के अन्तर्गत इस प्रमाण–पत्र की वैधता अंकित तिथि से पांच वर्ष तक के लिये होगी।

दिनांक सील रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 229 XXVIII(1)/2014-02(पैरा0)2009 T.C II दिनांक– 10 जुलाई, 2014 का संलग्नक–5

प्ररूप–5

(विनियम 20 का उपविनियम (1) देखिए)

वृत्तिक आचरण सम्बन्धी घोषणा पत्र

1. मैं सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मानवता की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दूंगा।
2. मैं अपने शिक्षकों को वह आदर तथा कृतज्ञता दूंगा जो कि उन्हें दिया जाना चाहिए।
3. मैं सदविवेक तथा प्रतिष्ठा के साथ अपना व्यवसाय करूंगा।
4. मैं यह सदैव ही ध्यान रखूंगा कि मेरे रोगी का जीवन सुरक्षित रहे।
5. मैं उन गुप्त बातों का, जो भी मुझ पर विश्वास कर मुझे बतायी गयी हैं, आदर करूंगा।
6. मैं अपनी शक्ति के अधीन समस्त साधनों से चिकित्सा व्यवसाय के प्रति आदर तथा श्रेष्ठ परम्पराओं को बनाये रखूंगा।
7. मेरे सहकर्मी मेरे बन्धु होंगे।
8. मैं उन बातों को कभी भी पसन्द नही करूंगा जो कि मेरे कर्तव्य तथा मेरे रोगी के बीच धर्म, राष्ट्रीयता, वंश, दलगत राजनीति या सामाजिक स्थिति में कोई बाधा बने।
9. मैं मानव जीवन के लिए, गर्भधारण के समय से ही उच्चतम आदर रखूंगा, और
10. मैं धमकी के अधीन भी, अपने परा–चिकित्सकीय ज्ञान को मानवता के नियमों के विरूद्ध उपयोग नही करूंगा।

मैं सत्यनिष्ठा से, स्वतंत्रतापूर्वक तथा स्वयं सदभावना से उपरोक्त वचन देता हूं।

स्थान:.....

दिनांक: हस्ताक्षर

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 229 XXVIII(1)/2014-02(पैरा0)2009 T.C II दिनांक– 10 जुलाई, 2014 का संलग्नक–6

प्ररूप–6
सूचना
विनियम 20 उपविनियम 2घ

(1) उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद की ओर से मैं रजिस्ट्रार एतदद्वारा आपको सूचित करता हूं कि उपलब्ध अभिलेखों एवं परीक्षण से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आपके आचरण के विरूद्ध जांच किये जाने के पर्याप्त कारण हैं एवं एतद उपरान्त उल्लिखित विषयों के लिये आपको निम्न रूप से आरोपित किया जाता है।
विनिर्दिष्ट आरोप अंकित किये जायें.....
.....

(2) आपके विरूद्ध शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों तथा दिये गये साक्ष्य का विवरण संलग्न है:–

(3) आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी प्रतिरक्षा में लिखित विवरण व अभिलेख जिस पर आप अपनी प्रतिरक्षा उत्तर को उपरोक्त आरोपों के उत्तर में आधारित करना चाहते हैं, संलग्न कर ..... (निर्धारित तिथि तक) प्रेषित करें एवं यह भी सूचित करें कि क्या परिषद द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की अपेक्षा रखते हैं। आप यदि किसी साक्षी को अपनी प्रतिरक्षा में परीक्षण करना चाहते हैं, तो उनके नाम व पते भी उपरोक्त के साथ ही प्रस्तुत करें। यदि आप द्वारा परीक्षण किये जाने वाले साक्षियों का नाम व पता आप द्वारा निर्धारित समय में नही दिया जाता है, तो यह मान लिया जायेगा कि आप इस प्रकार के विवरण देने की इच्छा नही रखते हैं

(4) आप कृपया स्पष्ट करें कि किस प्रकार उपरोक्त आरोपों के लिये उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद अधिनियम 2009 की धारा–39 अथवा 40 के अन्तर्गत उल्लिखित दंड आपको नही दिया जा सकता है।

(5) आपके सुलभ संदर्भ हेतु उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद अधिनियम 2009 की धारा 39 व 40 का उदधरण तथा उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद नियमावली के जांच नियम संलग्न कर भेजे जा रहे हैं, कृपया यदि आप चाहें तो सुसंगत अभिलेखों की प्रति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

दिनांक

रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 229 XXVIII(1)/2014-02(पैरा0)2009 T.C II दिनांक– 10 जुलाई, 2014 का संलग्नक–7

प्रपत्र–1

मतदाता सूची।

(विनियम 21 का उपविनियम (1) का खण्ड (क))

अनु कमांक	पंजीकरण कमांक	पूरा नाम तथा पिता का नाम	जन्म तिथि	पता	विश्वविद्यालय या बोर्ड के नाम सहित अर्हताएं तथा वह तिथि जब अभिप्राप्त की गयी हो	व्यवसाय का स्थान	पंजीकरण की तिथि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 229 XXVIII(1)/2014-02(पैरा0)2009 T.C II दिनांक– 10 जुलाई, 2014 का संलग्नक–8

प्रपत्र–2
नामांकन पत्र का प्रारूप
उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद
विनियम 21 का उपविनियम 5

(प्रत्याशी द्वारा भरा जायेगा)

मैं परा चिकित्सा की ..... विधा का व्यवसायी हूं परा चिकित्सा परिषद के सदस्य हेतु प्रत्याशी हूं। मैं एतदद्वारा उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद के सदस्य हेतु अपनी अभ्यर्थिता प्रस्तुत करता/करती हूं। मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं यदि निर्वाचित हो जाता हूं/जाती हूं तो उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद/के लिये कार्य करूंगा/करूंगी।

दिनांक प्रत्याशी के हस्ताक्षर

.....

(प्रस्तावक द्वारा भरा जायेगा)

मैं एतदद्वारा श्री/श्रीमती..... को उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद सदस्य के आसन्न निर्वाचन हेतु नामांकित करता हूं।

1. प्रत्याशी का पूरा नाम (पिता का नाम सहित) .....
2. प्रत्याशी का पूरा डाक पता .....
3. मतदातासूची में प्रत्याशी का क्रमांक .....
4. प्रस्तावक का पूरा नाम .....
5. प्रस्तावक का पूरा पता .....
6. मतदाता सूची में प्रस्तावक का क्रमांक .....

दिनांक प्रस्तावक के हस्ताक्षर

.....

(प्रस्ताव के अनुमोदक द्वारा भरा जायेगा)

मैं उपरोक्त नामांकन का अनुमोदन करता हूं।

1. अनुमोदक का पूरा नाम .....
2. अनुमोदक का पूरा पता .....
3. अनुमोदक का मतदाता सूची में क्रमांक .....

दिनांक अनुमोदक के हस्ताक्षर

.....

(निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

नमांकन पत्र का क्रमांक

यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में ..... समय..... तिथि को प्राप्त हुआ।

दिनांक निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय

मैने उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद नियम/विनियम 2011 के प्राविधानों के अधीन नामांकन पत्र का परीक्षण किया है तथा निम्नलिखित निर्णय लिया है।

.....

.....

दिनांक निर्वाचन अधिकारी

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 229 XXVIII(1)/2014-02(पैरा0)2009 T.C II दिनांक– 10 जुलाई, 2014 का संलग्नक–9

प्रपत्र–3

नामांकन पत्रों का परिनिरीक्षण

उत्तराखण्ड चिकित्सा परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु

(विनियम 21 उपविनियम 17)

आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला प्रोद्यौगिक विकिरण चिकित्सा प्रोद्यौगिकी भौतिक चिकित्सा व्यवसाय हेतु अलग–अलग नामांकन उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद के सदस्यों के नामांकन हेतु।

दिनांक ..... को ..... समय तक प्राप्त हुई।

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	व्यवसाय की विधा का नाम	पता
1	2	3	4	5	6

टिप्पणी :– नामांकन पत्रों की परिनिरीक्षा ..... (स्थान) में .....

दिनांक को ..... पूर्वान्ह्/अपरान्ह् ..... में की जायेगी।

स्थान :–

दिनांक : निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 229 XXVIII(1)/2014-02(पैरा0)2009 T.C II दिनांक– 10 जुलाई, 2014 का संलग्नक–10

प्रपत्र संख्या – 4
(विनियम 21 का उपविनियम (25) देखिए)

उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद के लिये विधि मान्य नामांकनों की सूची:–

क0सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	अभ्यर्थी का पता	विधा जिसके लिए नामांकन हुआ है।
1	2	3	4	5	6

टिप्पणी :– मतदान..... (दिनांक) को ..... समय और ..... (समय) के बीच

पहले से ही अधिसूचित मतदान केन्द्र पर होगा।

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 हिन्दी गजट/483–भाग 1–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 जुलाई, 2014 ई0 (आषाढ़ 28, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 06, 2014

No. 159 UHC/XIV/5/Admin.A/2008--Sri Rajoo Kumar Srivastava, Civil Judge (Sr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 03-02-2014 to 17-02-2014 in terms of G.O. No. 819/xxvii(7)34/2010-11 dated 31-12-2013 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

May 09, 2014

No. 160 UHC/XIV-a-7/Admin.A/2009--Sri Rahul Kumar Srivastava, Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned medical leave for 16 days *w.e.f.* 15-04-2014 to 30-04-2014.

NOTIFICATION

May 20, 2014

No. 161 UHC/XIV-30/Admin.A/2008--Sri Man Mohan Singh the then Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar presently posted as Chief Judicial Magistrate, Champawat is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 16-04-2014 to 30-04-2014.

NOTIFICATION

May 21, 2014

No. 162 UHC/XIV-a-57/Admin.A/2012--Ms. Arti Saroha, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 03-05-2014 to 17-05-2014 with permission to suffix 18-05-2014 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 हिन्दी गजट/483–भाग 1–क–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 जुलाई, 2014 ई0 (आषाढ़ 28, 1936 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल

तहबाजारी उपनियम

29 मई, 2014 ई0

पत्रांक 113/08–अधि0लि0(तह0उप0)/2014–15–नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1916 की धारा–298 (2) शीर्षक (ई) उपखण्ड "बी" के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल ने अपने क्षेत्रान्तर्गत तहबाजारी उपनियम में 22 जनवरी, 2000 (संशोधित) में पुनः संशोधन करने के लिए पालिका परिषद् की मासिक बैठक दिनांक 21–10–2013 में प्रस्ताव सं0–85 पारित किया गया है, जिसका विवरण निम्न तालिका में अंकित है। इसके सम्बन्ध में यदि किसी को आपत्ति हो तो, वह समाचार पत्र में प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर नगर पालिका परिषद् के कार्यालय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) सुबह 10:00 बजे से 5:00 बजे तक लिखित रूप से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

तहबाजारी उपनियमों के नियम सं0–7 के क्रम में प्रकाशित उत्तराखण्ड गजट 10 अक्टूबर, 2009 के पृष्ठ सं0–17–ट में संशोधित तालिका की सूची के क्रम सं0–1 पर प्रकाशित दरों की तालिका में उल्लिखित मेला एवं त्योहार के दिनों में भी निम्न प्रकार पुनः संशोधन किया गया है:–

सूची

विवरण में प्रतिदिन का	वर्तमान दर			संशोधित दर		
	प्रतिदिन	माहवार	मेला/त्योहार में प्रतिदिन का	प्रतिदिन	माहवार	मेला/त्योहार में प्रतिदिन का
	₹	₹	₹	₹	₹	₹
1. फड या स्टाल दोनों लगाकर कपड़े बिसात–खाना, मिठाई बेचना, बर्तन, फल, सब्जी आदि	10.00	275.00	35.00	20.00	550.00	70.00

त्योहारों की सूची निम्न प्रकार अतिरिक्त रूप से जोड़ी गईः–

1. बैकुण्ठ चतुर्दशी मेला (सम्पूर्ण मेला तिथियां सम्मिलित)।
2. धनतेरस तिथि।
3. मुख्य दीपावली।

बिपिन चन्द्र मैठानी,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
श्रीनगर गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 हिन्दी गजट/483–भाग 8–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।